[श्री दे० शि० पाटिल]

Tribals residing in the rest of the State."

जैसा कि मैंने अभी बताया है, जो आदिवासी शिड्यूल्ड एरियाज और स्पेसिफाइड एरियाज में रहते हैं, उन को शिड्यूल्ड ट्राइब्स या आदिवासी माना जाता है और जो बाहर रहते हैं, वे आदिवासी नहीं माने जाते हैं। उन को "अदर बैकवर्ड क्लासिज" माना जाता है। इस के बारे में ढेबर कमीशन हर एक स्टेट में गया और वहां पर इसके बारे में एनक्वायरी की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसे आदिवासी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जो आदिवासी नहीं माने जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर विभाग में छः लाख और मध्य प्रदेश में बारह लाख से ऊपर ऐसे आदिवासी रहते हैं, जो कि आदिवासी नहीं माने जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि संविधान में उन के प्रोटेक्शन और कल्याण के सम्बन्ध में जो प्राविजन रखा गया है और उस प्राविजन को कार्यान्वित करने के लिये जो स्कीम्ज बनाई जाती हैं, वे उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं। इसलिये अब तक उन लोगों का कल्याण नहीं हुआ है।

14 hrs.

जब वह कमीशन महाराष्ट्र में गया, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस बारे में अपनी प्रोपोजल उस के सामने रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया है :—

"The Maharashtra State Government has proposed the following areas to be included in the list of Scheduled Areas—

मैं उन एरियाज की लिस्ट को समय के अभाव के कारण पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा है, वहां पर ऐसे बहुत से एरियाज हैं और उनकी पापुलेशन छः लाख है। उन्होंने यह रिक्वेस्ट कमीशन के सामने रखी :

They requested that the left out tribals be included in the List of Scheduled areas.

"In Maharashtra about 6 lakhs of Tribals belonging to those very communities or tribes but living in areas outside the Scheduled and specified areas have not been accepted as Scheduled Tribes. This has, it is claimed, placed those members of the same communities in disadvantageous position."

कमीशन ने एन्क्वायरी करने के बाद अपनी ओपीनियन इस प्रकार दी : —

"After examining the arguments advanced by the State Governments and non-officials, the question should be considered in the light of the alternative approach suggested in Chapter VIII."

फार्मर विन्ध्य प्रदेश और भोपाल के भाग को उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाये गये शिड्यूल्ड एरियाज में शामिल नहीं किया गया था और उन को शिड्यूल्ड एरियाज से सम्बन्धित कांस्टीट्यूशनल आर्डर्स के स्कोप से एक्सक्लूड किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि :—

"The Madhya Pradesh State Government has proposed the following areas to be included in the Scheduled areas:—

जैसा कि मैंने अभी बताया है, वहां पर बारहलाख की पापुलेशन आदिवासियों की है। कमीशन ने उस पर अपनी यह ओपीनियन दी

"We suggest that the Central Government should examine the proposals in the light of the criteria suggested by us for declaration of the Scheduled Areas."

इस तरह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इन एरियाज को शिड्यूल्ड एरियाज में शामिल करने की प्रार्थना की है। इस के अलावा उन आदिवासियों की जो आर्गनाइजेशन्ज और संस्थायें हैं, उन्होंने

भी यह प्रार्थना की है । नासिक में १४ मार्च को जो महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कान्फ्रंस हुई थी, जिस का उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था, उस में इस परह का प्रस्ताव पास किया गया था । इस के अलावा और भी बहुत से डेपुटेशन्ज आए हैं और लोक सभा के सदस्यों ने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है । लेकिन "लेफ्ट आउट ट्राइबल्ज" की तरफ मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है । मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाये ।

कमीशन ने इस बारे में जांच की है और जांच करने के बाद उस ने अपनी रिपोर्ट दी । उस ने अक्तूबर, १९६१ में राष्ट्रपति जी को जो लेटर भेजा, वह इस बात का सबूत है कि आदिवासी की यह मांग न्याय है। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में गौर करना चाहिये । कमीशन ने वह लेटर अपनी रिपोर्ट में दिया है और वह इस प्रकार है :—

"There is another class of tribals who, though belonging to the same category, has been excluded because of the territorial test that they remain outside particular areas. We can say with some personal knowledge (उन्होंने "हीयरसे" नहीं कहा, उन्होंने "पर्सनल नालेज" कहा है) that this distinction while valid in law is without much justification in point of fact. But, more than that we have in our mind the case of "left-out" tribes in the Madhya Pradesh areas and in the Nagpur Division of Maharashtra. We have compared the conditions of these tribals and we would like to recommend that their case should be specially examined."

इस लेटर से यह समस्या बहुत स्पष्ट हो जाती है । जब तक यह समस्या हल नहीं होती है, तब तक आदिवासी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है । इस लिये इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इस तरफ ध्यान देने की इस लिये भी जरूरत है कि आदिवासीयों के दिल में बहुत असंतोष और संशय हैं । वे यह महसूस करते हैं कि कांस्टीट्यूशन में उन के लिये जो प्राविजन रखा गया है, उन को जो संरक्षण दिया गया है और उन के लिये जो स्कीम्ज बनाई जाती हैं, आज के कानून के मुताबिक वे लोग उन के अन्तर्गत नहीं आते हैं । जो स्कीम्ज आदिवासियों के लिये हैं, "अदर बैकवर्ड क्लासिज" उन से फायदा नहीं उठा सकते हैं । इन लिये वे लोग उन स्कीम्ज के लाभ से वंचित रह जाते हैं । वे एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन की जात, रहन सहन का ढंग और धंधा एक है और वे भी ट्राइबल्ज हैं, लेकिन चूंकि वे शिड्यूल्ड एरिया से बाहर रहते हैं, इस लिये उन के साथ दूसरी तरह का ट्रीटमेंट किया जाये, मैं इस को योग्य नहीं समझता हूं । आज-कल जो व्यवस्था है, उस में संविधान के द्वारा दिया गाया संरक्षण और प्रोटेक्शन केवल शिड्यूल्ड एरियाज के ट्राइबल्ड को मिलता है, ऐसा उन का ख्याल हो गया है । उन में असमानता का आभास हो रहा है और उन की यह राय बनती जा रही है कि इस ट्रीटमेंट से वे न्याय से वंचित हो रहे हैं । चूंकि यह प्रावलम बहुत बढ़ रही है, इस लिये मंत्रालय को इस बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिये ।

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में ट्राइबल्ज के लिये जो रकम रखी गई है, वह काफी कम है । इस के अलावा हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंटस को जी रकम खर्च करने के लिये दी जाती है, उस को वे खर्च नहीं कर पाती हैं । मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में यह कहा गया है :

"The State Govt. has not been able to spend more than 39 per

[श्री दे० शि० पाटिल]

cent of the total allocation under the Second Plan."

अगर मेरे पास और टाइम होता, तो मैं आप के सामने कई उदाहरण रख सकता था ।

मैं एक बहुत जरूरी बात आप के सामने रखना चाहता हूं । ये सब स्कीम्ज कलेक्टर के अख्तियार में हैं, लेकिन पंचायती राज कायम होने की वजह से कलेक्टर के पास अब कोई पावर नहीं है । जब तक कलेक्टर के पास पूरे अधिकार नहीं होंगें, तब तक वह इन स्कीम्ज को नहीं चला सकता है । जिला परिषद और पंचायत समिति उस को नहीं मानती है ।

उपाध्यक्ष महोदय अगर आप मुझे दो मिनट और दें, तो मैं मैसूर-महाराष्ट्र बार्डर इस्यू के बारे में कुछ कह दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । आव माननीय सदस्य बठ जायें । श्री शंकर आल्वा ।

Shri A. S. Alva (Mangalore): Mr. Deputy-Speaker, I also support the Demands for grants of the Home Ministry.

In the first place, a lot of objection was raised to the working of the Defence of India Act and the Rules made thereunder. Especially our friends of the Communist party were very vociferous in saying that people have been unnecessarily arrested and detained and Shrimati Renu Chakravartty went to the extent of detailing some of the cases of the Members of her party, especially some ladies, educated, who have been detained under the Act and are still under detention. As a matter of fact, after the Act was passed, in a number of States, because a lot of discretion has been given to the States to arrest the suspected persons who are on the point of endangering the security of the State, several arrests have been made, but regular charge-sheets are given to those people. The matter is reviewed every now and then, and we know that some of the detenues have also been released. In these cases, the objects of the Defence of India Act itself will be nullified if a regular trial is given, because that will have a lot of hostile propaganda value also. That is the very reason why people are detained without a regular trial. Constantly, their cases are being reviewed. Of course, there might be some instances where some overzealous officers might have given some reports on the basis of which those people might have been detained. But that should not be made the ground for making a general allegation, such as my hon. friend was making by detailing some of the cases and saying that those persons are good persons and they would not commit any prejudicial acts and, therefore, they should not have been detained under the Act. I do not know whether she herself is aware of the grounds on which they were detained, because under the Act, the District Magistrate gets the report and he issues the order and then only the arrests are made. Then, the concerned Government reviews those cases. As such there is no point in saying that the Act is working harshly or that it is directed against her party.

If Government were anxious to make use of all these powers for detaining the communists, straightway the party itself could have been banned and all the members of the party could have been arrested. But, as a matter of fact, it is not directed against any party. Whoever he may be, whether he belongs to the Communist Party or to the Congress Party or to any other party, if he acts prejudicially to the security of the country, he will come within the ambit of the Defence of India Act.

So, all the objections raised against the actual way in which the Act is being enforced have absolutely no substance. Certainly, Government cannot take risks in an emergency of

this type. Even now, we read in the papers that allegations have been made that in Bengal there are a lot of people who are spying on behalf of the Chinese. So, in these circumstances it is necessary, especially in West Bengal and Assam, that Government should be very careful to see that the people who are supposed to endanger the security of the State are put behind the prison bars; and after all, these cases cannot be weighed with golden scales or stand the test of an ordinary criminal trial.

Then, a very wide and sweeping allegation was made in respect of this Ministry so far as the services are concerned. My hon. friend, Shri Harish Chandra Mathur, was over-stating the case when he said that the officers had not adapted themselves to the present circumstances and they are still under the colonial rule mentality and they are functioning under rules which were made a century or two centuries ago. Actually, the people who constitute the services are none other than a cross-section of the nation itself. They have got all the good and bad qualities of the nation, and much will depend how the people themselves behave in relation to them. If especially the politicians, public men, etc. want the Government or some of the officers of Government to be corrupt, they will be corrupt. But if there is a vigilant public, if all the members of the public and the politicians etc. keep away from unduly interfering with the Government servants, and if they do not want any favours or any such work to be done by them, then, surely, the Government servants also will be very careful and act properly.

I am not saying thereby that there is no corruption and there is no nepotism or such other similar things of which they have been accused. As regards the prosecutions which have been launched against the Government servants, we find that out of 288 cases, about 82 per cent. ended in convictions. Similarly, in the departmental cases, out of 496 cases, 436 ended in punishment, which gives a percentage of about 87:9. This only shows that Government are very vigilant and they do not want to book the officers on flimsy grounds, and the cases that are made out give a very good percentage, and Government are acting on evidence. In this connection, it is absolutely necessary to mention that Government cannot shirk their responsibility, and it is up to them to see that as far as possible corruption is reduced. But, as I said in the beginning, it is impossible to eradicate corruption as long as the society itself is not prepared for it.

There is one other thing that I would mention in regard to recruitment to services. We have got a Public Service Commission at the Centre and Public Service Commissions in the States as well. I would submit that the purity of the Commission should be maintained. Recently, in my State of Mysore, there were some appointments to the posts of district judges, where the High Court judges had to make the recommendation and then the State Government would make appointments from them. I am told that a lot of letters have been written to the High Court judges in respect of certain candidates of their own choice. It stands to the credit of the High Court judges that they refused interview to those people who influenced them, and they did not even call them for interview. That speaks very highly of the judiciary. The same thing must be emphasised in the case of the Public Service Commissions also. Whenever any inducement or influence or any such thing is brought to bear in respect of any particular candidate, the rule which says that recommendation in any form would not be tolerated and will disqualify a candidate must be strictly observed; if that is done, that will be an eye-opener to those people who try to tamper with the Public Service Commission.

Then, I would mention one point as far as the Mysore State is concerned, which has been stressed already by my other hon. friends. Mysore State

[Shri A. S. Alva]

comprises portions of former five other States. The services in Mysore today are of different categories, and finalisation of the integration of the services has not been done so far. As a matter of fact, some of the officers have retired, and some who had good chances of promotion could not get promotion, and even now they do not know where they actually stand. So, I submit that this is a matter which must be looked into immediately by the Home Ministry.

Now, I come to another point which I had raised last time also, namely that the Law Commission had recommended that at least one-third of the judges of each High Court should not belong to that particular State. Of course, the Home Minister was pleased to say last time that efforts were being made in this direction and the State Governments had been addressed as regards these recommendations. But it has to be speeded up, so that we may have real integration, and national integration may be pushed through. Therefore, it is necessary that the Home Ministry should also look to the speed with which this wholesome reform is fulfilled.

Finally, I would say a word more about my State and my constituency. I am referring to the Coorg area. When the Arms Act was revised in 1959, it was said that the people of Coorg would be exempted from the Arms Act to have licence to possess fire arms, because formerly the people of Coorg were exempted under the Arms Act and they need not have any licence to possess guns or other fire-arms. But now, the position is different. I have already drawn the attention of the Home Minister to this. Under the notification issued, they have said that people of Coorg race and "Jama" holders also must take out a licence, though, of course, it has been stated that they need not pay any fees if they are already in possession of arms. The Home Minister was pleased to say that exempting them would be a discrimination and offend Constitution. But I would submit that this matter had even gone to the High Court, and in *Dr. Nanjundeshwara* versus *the State of Coorg*, which has been reported in 1957, *Mysore Law Journal*, at page 26, it has been stated that it was not a discrimination if it is in respect of any class of people, and that those "Jamma" holders or people of the Coorg race could be allowed to have those fire-arms without licence.

I would again appeal to the Home Minister to look into the memorandum which the Coorg people submitted which is even now pending, and give them relief.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों पर दो दिनों से बहस सुन रहा हूं। इस बहस को कांग्रेस की तरफ से श्री माथुर ने शुरू करते हुए और पी० एस० पी० की तरफ से श्री कामत ने शुरू करते हुए, जो मूल सिद्धांत की चन्द बातें सामने रक्खी हैं उन को बहुत गौर से देख कर और अमल में ला कर अपना आत्म संशोधन करना है। ट्रेजरी बेंचेज पर जो लेजिस्लेटर्स बन कर माननीय सदस्य बैठे हैं उन के लिये आत्म संशोधन जरूरी है। इसी दृष्टि से मैंने इस बहस में भाग लेने की जुर्रत की। मैं प्यारे लाल जी की लिखी हुई "महात्मा गांधी-लास्ट फेज" को पढ़ रहा था जिस में महात्मा गांधी जी की हिदायतें दी हुई हैं। प्यारे लाल जी ने उन के जिन विचारों को मुल्क के सामने और दुनिया के सामने रखा है, उन को हम न सिर्फ दिल लगा कर पढ़ें, बल्कि उन को अमल में भी लायें, जिस के लिये हम को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। महात्मा जी को हम बहुत पूजनीय मानते हैं। हम न सिर्फ उन की फोटो की ही भक्ति करें बल्कि उन के दिल के अन्दर जो तत्व थे उन को जिन्दा रखना भी हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। मैं यहां पर सदन का

अधिक समय न लेते हुये सिर्फ उन के विचारों को ही रखना चाहता हूं ।

यहां पर हिन्दी भाषा की चर्चा बहुत होती है । यहां पर दक्षिण का और केन्द्र का उस के प्रति जो रवैया है उस को देखते हुए मैं साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम दक्षिण में जाते हैं तो उस के लिये हमारे दिल में अच्छी ही भावना होती है उसी तरीके से जिस भाषा को महात्मा गांधी हिन्दी या हिन्दुस्तानी कहा करते थे उस के लिये लोगों के दिल में सद्भावना है । जितनी श्रद्धा उन को भारतीय संस्कृति पर है उतनी ही इस भाषा पर है । लेकिन उस का ज्यादा से ज्यादा फैलाव करने में न सिर्फ दक्षिण वाले आड़े आते हैं, न सिर्फ दक्षिण भारत की जनता उस में आड़े आती है, बल्कि मेरा आरोप यह है कि केन्द्रीय सरकार को भी जो कुछ उस के लिये करना चाहिये था वह उस ने नहीं किया है । अगर आप आंकड़े निकाल कर देखें तो दक्षिण भारत में जो हिन्दी बोलने वाले हैं वह अंग्रेजी बोलने वालों से कई गुने ज्यादा निकलेंगे । आज ही, अंग्रेजी को खत्म करो, मैं ऐसा नहीं कहता, अगर पन्द्रह वर्षों में लोग हिन्दी नहीं सीख सकते तो दस बीस साल और दिये जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी को हमेशा के लिये कायम रख कर एक ऐसोशियेट लैंग्वेज बना दिया जाय और भारतीय संस्कृति को ठीक से पनपने न दिया जाय, इस का मैं घोर विरोध करता हूं ।

मैं यहां पर केवल महात्मा जी के शब्दों को पढ़ना चाहता और वे यह हैं :

"Congress Ministers and legislators should set an example in that respect if the complexion of the administration under independence was to be any different from what it was under British rule. If the people did not feel the change, there would be no revolutionary fervour or mass upsurge and in the absence of spontaneous, enthusiastic co-operation of the masses, they would not be able to solve their problems without the assistance of the British power. For this, they would have to pay a heavy price as they have already found to their cost."

"India would not really be free so long as the people of India were under the domination of foreign culture, foreign language and foreign ways of living. It has made our standard of living needlessly costly and artificial. Not till we have freed ourselves from it shall we be really free."

"After the visitors had left....

यहां पर फारेन विजिटर्स की जो बात है उस को मैं छोड़ता हूं ।

"....the Bihar Ministers came in. Gandhiji unfolded them in this wise his conception of Indian Ministers and Governors in independent India"—

जो कुछ कामतसाहब ने और श्री माथुर ने आपके सामने रखा है उस का स्वरूप महात्मा जी ने पहले से अर्थात् सन् १९४७ में ही रखा था :

"They should so far as possible use articles of Indian manufacture, use khadi exclusively for themselves and the members of their family and do sacrificial spinning regularly to keep the wheel of non-violence going.

"They should learn both Nagari script and Persian and should abjure the use of English among themselves and use instead their provincial language. Hindustani should be their medium for all official purposes and all their office orders and circulars should

[Shri Shivamoorthy Swamy]

be issued in it so that Hindustani would automatically become the *lingua franca* of India.

"They should be completely free from the taint of untouhability, casteism, discrimination and partiality. A high-placed functionary should be equi-minded as regards his brother, son or an ordinary citizen—be he an artisan or a labourer. Their personal life should be a model of simplicity."—

जो उन्होंने सप्लिसिटी को अन्डरलाइन किया है उस के बारे में मैं इस सदन में बतलाना चाहता हूं कि उस के बिल्कुल खिलाफ आज अमल हो रहा है ।

"They should perform body labour for at least one hour daily in the form of spinning, scavenging, growing of food or of vegetables and help the country to make good the food shortage. They should not live in bunglows or own cars. They should live in an unostentatious residence. They might make use of a motor car but sparingly only for special reasons.

"By living in one place or close to one another, Ministers and their families and their staff would come into closer touch with one another. This would ensure better co-ordination among them."

श्री बागड़ी (हिसार) : महात्मा जी ने एलेक्ट्रिसिटी के लिये भी कुछ लिखा है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सी हिदायतें दी हैं जिन को मैं छोड़ता हूं ।

इस के बाद आप देखिये कि जब स्टेट्स मर्ज हुई थीं तब कुछ एग्रिमेंट्स हुये थे । उन के बारे में जब मैं कोई सवाल पूछता हूं तो प्रिविलेज के क्लाज को ला कर उन का जवाब नहीं दिया जाता । मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जरा उन एग्रिमेंट्स को दुबारा रिवाइज करने की जरूरत होगी । मैं यहां पर किसी जज्बे या फीलिंग के मातहत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि तकरीबन ७॥ लाख रु० आज निजाम साहब के जिम्मे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आते हैं, उन के लिये वह प्रिविलेज्ज रेट्स मांग रहे हैं । इसी तरह से जो सोंडूर की स्टेट है वहां के महाराजा ने आयरन ओर मैंगनीज और जंगलात को इस लिये कब्जे में रखा है कि कहीं कोई आदमी उस में दखल न कर बैठे । लाखों रुपये की कीमत की सोंडूर की सैंडलवुड वहां से काट कर ले जाई जा रही है और रोज स्टेट को उस का नुक्सान हो रहा है । इस के बारे में व्हाइट पेपर को देखने से जाहिर हुआ है कि यह जंगल उन को सिर्फ शिकार के लिये दिया गया था, दरख्तों को ले कर स्टेट को नुक्सान पहुंचाने के लिये नहीं ।

इसके बाद मैं कैपीटल पनिशमेंट के लिये सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके इसको डैड लेटर बनाकर रखा जाये तो अच्छा होगा । इसका उपयोग केवल बहुत ही सीरियस केसेज में किया जाये । ज्यादातर केसेज में जहांतक हो सके लाइफ इम्प्रीजनमेंट देना काफी होगा ।

करप्शन और घूसखोरी के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । इसको रोकने के लिये एक कमीशन बिठाकर सीरियस एक्शन लेना चाहिये । और अगर करप्शन का अपराध बड़े से बड़े आदमी को, मिनिस्टर तक को, पाया जाए तो उसको सजा दी जानी चाहिये । ऐसा होगा तभी आप करप्शन को कम कर सकेंगे । करप्शन बहुत बढ़ रहा है ।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोलबाग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं संघ क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस रिपोर्ट का पैरा ६ दिल्ली के बारे में लिखा

है । इसमें एक पैरा में भूमि अधिग्रहण के लिये कुछ शब्द लिखे हैं । इसमें यह लिखा है कि ७८०० एकड़ जमीन हासिल की गयी और उसके लिये दस करोड़ रुपया मुआविजा दिया गया । इसमें बताया गया है कि यह जमीन लो इनकम वालों के लिये ली गयी है । इस पर जो दस करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसका हिसाब लगाया जाये तो पता चलेगा कि सरकार को यह जमीन दो रु० और ६८ नये पैसे प्रति वर्ग गज पड़ी । कहा जाता है कि इसके विकास के लिये, सड़क के लिये, पार्क के लिये, जिन्दगी की अन्य जरूरियात के लिये जैसे अस्पताल आदि के लिये ६० प्रतिशत भाग छोड़ दिया जायेगा । यानी ४० प्रतिशत भूमि के वास्ते जो कि रिहाइश के लिये रखी जायेगी, ६० प्रतिशत भूमि को छोड़ा जायेगा । हम यह भी समझ लें तब भी इस जमीन का दाम ७ रुपये प्रतिवर्ग गज पड़ता है । अगर इसके लिये ७ रुपये प्रति गज विकास का खर्चा आ जाये तो इसका दाम १४ रुपया प्रति वर्ग गज हो जायेगा । मगर मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि यह जमीन जो ८० गज के प्लाट बना कर लो इनकम वालों को दी गयी है, उसका मूल्य २५ रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया गया है । किसी हिसाब से इसका इतना दाम नहीं आता ।

जिस समय यह जमीन सरकार ने ली थी तो कहा था कि हम इसलिये इसे ले रहे हैं कि जो कालोनाइजर हैं वे ज्यादा मुनाफा लेते हैं और लोगों को लूटते हैं । यह ठीक था । वे जमीन खरीदते थे, उसको ज्यादा कीमत पर बेचते थे । यह सरकार का कदम तो ठीक है कि उन्होने इस काम को अपने हाथ में लिया । लो इनकम वाले यह आशा करते थे कि जो जमीन सरकार डेवलप कर रही है वह उनको १४ या १५ रुपये गज के हिसाब से दी जायेगी, जब कि कालोनाइजर १४ से बीस रुपये तक के दाम ले लेते थे । लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई । इस हाउस में प्रश्नोत्तर काल में श्री हजारनवीस जी ने कहा था कि ६०० रुपये गज तक जमीन यहां बिकी है । जो सम्पन्न लोग हैं उन्होंने उसको लिया होगा और वह ऐसी जगह होगी जहां उसका इतना मूल्य लग सकता था । लेकिन जो जमीन शहर से सात सात और आठ आठ मील दूर है, उसका विकास हो रहा है । और वह लोगों को अगर २५ रुपये से ३५ रुपये गज के हिसाब से दी गयी तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि क्या यह लो इनकम वालों के लिये भार स्वरूप नहीं होगी । इसको सरकार को देखना चाहिये, सोचना चाहिये और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये ।

इसी में आगे चल कर दिल्ली के सम्बन्ध में यह लिखा है कि जामुना के अन्दर बाढ़ आती है । दस ग्यारह वर्ष से प्रति वर्ष बाढ़ आती है । यहां बारिश हो या न हो पर बाढ़ का आना अवशयम्भावी हो गया है । पंजाब का पानी दिल्ली में आ जाता है, उसकी निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । जहां तक नजफ गढ़ झील और नजफ गढ़ नाले का सवाल है, इस हाउस में कई बार उसकी चर्चा आ चुकी है । उसके लिये रुपया सेंक्शन हो चुका है के लेकिन उसमें देरी होती जाती है । मैं मिनिस्टर साहब से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि उस ओर ध्यान दिया जाये और उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ।

दिल्ली में राजनीतिक पीड़ितों के लिये एक कमेटी बनी हुई है । वह कमेटी पहले तो उनको अनुदान देती थी । लेकिन अब अनुदान बन्द कर दिये गये हैं । अब उनको कर्जा दिया जाता है जिससे कि वे किसी धन्धे में लग सकें । पिछले छः महीनों में उस कमेटी ने यह तै कर दिया है कि अमुक को कितना कर्जा दिया जाये, लेकिन आज तक गृह-मंत्रालय से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, वह रुपया नहीं पहुंचा है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । भारत देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है, वह कब

[श्री नवल प्रभाकर]

तक आयेगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। किन्तु दिल्ली की तो भाषा हो हिन्दी है और रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि दिल्ली प्रशासन के अन्दर दो हमारे सलाहकार हैं, उनमें एक सलाहकार हिन्दी लाना चाहते पर दूसरे नहीं लाना चाहते अब केन्द्रीय सरकार के कहने से कुछ सर्कुलर निकले हैं और मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश से एक अवर सचिव भी वहां नियुक्त किये गये हैं कि हिन्दी को लाया जाये। किन्तु जो उनसे बड़े अधिकारी हैं वे नहीं चाहते कि हिन्दी को लाया जाये। तो मेरा निवेदन है कि दिल्ली की भाषा हिन्दी है, दिल्ली के लोग हिन्दी बोलते हैं, और हिन्दी को पसन्द करते हैं। तो फिर कोई वजह नहीं है कि दिल्ली के एक ग्रामीण को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाये, या उसको अंग्रेजी में फार्म भरवाना पड़े और उसके लिये उसको पैसा देना पड़े। तो मेरा यह आपसे विनम्र निवेदन है कि दिल्ली में हिन्दी होनी चाहिये।

दिल्ली के अनुसूचित जाति वालों के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनको मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिये छात्रवृत्तियां मिलनी हैं उनको वे आजतक नहीं मिलीं हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व गृह-मंत्री स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पन्त के नाम से एक इंजीनियरिंग कालिज खुला है। उसको बने दो साल हो गये। उसमें जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको आज तक छात्रवृति नहीं मिली। पहले तो यह कहा गया कि इसका विधान तैयार नहीं हुआ है। जब विधान तैयार हो गया तो कहा गया कि अभी फार्म तैयार नहीं हुये हैं। जब फार्म भी तैयार हो गये तो कहा गया कि यह तो समय के बाद आये हैं, इस लिये पैसा नहीं दिया जा सकता। मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप देखें।

व्यवसाय और उद्योग में अनुसूचित जाति के लोग बहुत पिछड़े हुये हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आप ध्यान दें।

रिपोर्ट के अन्दर एक बात और कही गयी है कि दिल्ली के लिये नया प्रशासनिक ढांचा बनाया जायेगा। मेरा तो समय हो गया मैं इसके सम्बन्ध में क्या कहूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको देखेंगे। लेकिन वह इतना जरूर देख लें कि आज-कल दिल्ली की जनता की असुविधायें दिन-प्रति-दिन बढ़ रही हैं। एक तरफ कारपोरेशन है, एक तरफ दिल्ली प्रशासन है और उन के बीच में दिल्ली के देहात पिसे जा रहे हैं। वहां पर न तो डेवलपमेंट का कोई काम होता है और न कोई दूसरा काम होता है। इस बात को वह जरूर ध्यान में रखें।

एक शब्द और कह कर मैं बैठ जाऊंगा। यहां पर अमलेदार लोग रहते हैं। उन्होंने जमीन किराये पर ली हुई है और उस पर खुद मकान बनाये हुये हैं। लेकिन आज-कल उन की बहुत बेदखलियां हो रही हैं। माननीय मंत्री जी कृपा कर के कोई ऐसा कानून लायें, जिस से उन की बेदखलियां रुक सकें और उन गरीबों को राहत पहुंच सके।

नजफगढ़ एरिया में दो दो कमरे के जो मकान बनाए गये हैं, उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाया जाये और उसमें नमक ज्यादा डाल दिया जाये, तो वह खराब हो जाता है, वही हालत इन मकानों की है। वहां पर पानी भरा रहता है और टंकियां चूती हैं। इस का परिणाम यह है कि वहां के लोग दुआयें देने के बजाये बददुआयें दे रहे हैं।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय सरकार हिन्दी को आज

राष्ट्र भाषा के रूप में न ला कर उस की तिथि को आगे बढ़ाना चाहता है और सब से पहले मैं उसका विरोध करता हूं । शास्त्री जी ने वर्धा और कई अन्य जगहों पर भाषणों में कहा है कि हम अंग्रेजी को सहभाषा बनायेंगे और वह सब प्रांतों के लिये समान रूप से होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने हिन्दी में अपना काम-काज करना शुरू कर दिया है, उन का क्या होगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विधेयक बनाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाये ।

हमारे विरोधी कहते हैं कि हिन्दी को ठूंसा जा रहा है । यह कितने अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि हम को आजाद हुए आज पन्द्रह साल हो गये, लेकिन इन पन्द्रह सालों में हम ने अपनी गलती को महसूस नहीं किया, हिन्दी को राजभाषा नहीं बनाया और हिन्दी को नहीं सीखा । बल्कि आज यह कहा जा रहा है कि हिन्दी ठूंसी जा रही है । यह नहीं कहा जाता है कि हिन्दी के बजाये अंग्रेजी ठूंसी जा रही है । मैं समझता हूं कि जब तक अंग्रेजी यहां पर लागू रहेगी, तब तक पिछड़ी जातियों के लोगों का उद्धार नहीं होगा । मैं माननीय मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि चुनाव के दिनों में गांवों में चुनाव प्रचार क्या उन्होंने अंग्रेजी में किया था । वह समय दूर नहीं है । चार साल के बाद वह फिर आने वाला है । उस समय हम बतायेंगे कि वे अंग्रेजी में भाषण करते हैं या हिन्दी में । आज हिन्दी को पीछे रख कर पिछड़े वर्गों पर कुठाराघात किया जा रहा है । इस देश के गावों की गरीब जनता अंग्रेजी नहीं जानती । एक हजार से ऊपर तनख्वाह पाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों के इशारे पर आज अंग्रेजी को सहभाषा बनाया जा रहा है और हिन्दी के साथ अन्याय किया जा रहा है ।

अंग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान पर अपना शासन कायम किया था, तो उस समय अंग्रेजी को इस देश में चलाया था । वे समझते थे कि हिन्दुस्तानी तो निर्बुद्धि और गंवार आदमी हैं और अपनी भाषा में हम इन को पागल बना सकते हैं । उन को गये हुए पन्द्रह साल हो गये, लेकिन मंत्री महोदय से यह भी नहीं हो सका कि वह अंग्रेजी के काले पर्दे को हटा दें । मैं जानता हूं कि अंग्रेजी और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के अहाते में स्थापित मूर्तियां तब तक नहीं हटेंगी, जब तक हम विदेशी कर्जे से मुक्त नहीं हो जायेंगे । क्यों हमें डर है कि अगर हम अंग्रेजी को या इन मूर्तियों को हटा देंगे, तो किसी दूसरे देश से विरोध-पत्र आने पर उस का क्या जवाब देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम ने विदेशों से कर्जा लिया था, तो इस शर्त पर नहीं लिया था ।

संसार के हर एक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है, जिस में उस का सब काम-काज होता है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले विज्ञान भवन में डाक्टरों का एक सम्मेलन हुआ था । मैं वहां पर आए हुए एक रूसी डाक्टर के पास एक बच्चे की आंख दिखाने के लिए गया । लेकिन वह डाक्टर हमारी अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सका । मैं ने यहां के एक डाक्टर से सहायता ली और उन्होंने उस रूसी डाक्टर को उस की भाषा में समझाया । मुझे अफसोस हुआ कि हम हिन्दुस्तान में अपनी राष्ट्र-भाषा को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन वह रूसी डाक्टर अपनी भाषा का इतना आदर करता है और सब काम उसी में करता है । हिन्दुस्तान में एक विधान, एक जुबान और एक निशान होना चाहिए, लेकिन हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं होता है । हर एक मुल्क में ऐसा होता आया है ।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे कांग्रेसी नेता दम भरते हैं कि हम ने शिड्यूल्ड कास्ट्स की उन्नति कर दी है । वे गांवों में जा कर देखें कि

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

उन की क्या हालत है। जानवरों की हालत तो बेहतर है, लेकिन गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स की हालत इतनी ख़राब है कि आप देख नहीं सकते।

स्वच्छता दिवस के अवसर पर कोटा, राजस्थानमें कुछ नेता, सरकारी अफ़सर और सरकारी कर्मचारी हरिजनों के घर-बार और मकान देखने के लिए गए। स्वच्छता-दिवस पर ऐसा होता है। उन्होंने जल-पान का आयोजन किया। तब उन में से किसी नेता ने कहा कि मुझे चाय पीने से खट्टी डकार आती हैं और किसी ने कहा कि मैं ने तो पान खाना छोड़ दिया है। इस तरह जो कट्टर नेता कहलाते थे, उन्हों ने भी उस जल-पान को ग्रहण नहीं किया। मैं उन भटनागर साहब को धन्यवाद देता हूं, जो आर्य समाजी हैं, जिन्होंने पान न खाते हुए भी सब से पहले पान खाया। उन्होंने कहा कि मैं पान नहीं खाता हूं, लेकिन इस समय मुझे पान खाना पड़ेगा।

इस के बाद मैं थोड़ा सा कम्यूनिस्टों के बारे में कहना चाहता हूं। अभी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की तरफ़ से एक प्रदर्शिनी हुई थी। उस में कुछ पोस्टर लगाए गए थे। हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने उस को इतना उछाला और जन संघ की बहुत बुराई की और कहा कि इस में जन संघ का हाथ है। वह पोस्टर मैं आप को दिखा देता हूं। यह पोस्टर है। देखिए, इस में नेहरू जी का क्या अपमान है? इस में दिखाया गया है कि नेहरू जी ने चीनियों को तिब्बत में आने का रास्ता दिया। यह बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने वहां पर सड़कें बनाई थीं, क्या इन को इस का पता नहीं था? उन्होंने वहां फौजें इकट्ठी कीं, क्या इन को इस का पता नहीं था। सब कुछ पता था। यह सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने उन को आने का मौका दिया।

जब कम्यूनिस्ट चीन ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया, तो हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने प्रधान मंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम इंडियन कम्यूनिस्ट हैं। हमारे प्रधान मंत्री शंकर भगवान् की तरह बहुत सीधे-सादे हैं। वह उस प्रस्ताव पर मोहित हो गए और उन्होंने उस को मान्यता दी। आप आज पश्चिमी बंगाल की हालत देखिए। वहां के वित्त मंत्री ने जो कहा है, उस से स्पष्ट नजर आता है कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई कितने देशभक्त हैं। बम्बई में भी उन की गतिविधियां इस तरह से चल रही हैं कि हम को उन की तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हवाई हमले से बचाव के लिए दिल्ली में खाइयां वग़ैरह खोदी गई थीं। हमारे प्रधान मंत्री ने उन का मज़ाक उड़ाया और कहा कि यह कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चीन के इस रुख़ को देखते हुए हिन्दुस्तान के बचाव के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं एक दोहा कह कर समाप्त करता हूं

जल उठा चीन देख हिंदुस्तान की आजादी को,
मरवा दिये उसने लाखों सैनिक करने कम आबादी को।

यह हिम्मत है हिंदुस्तान की पीछे हट कर आगे बढ़ना,

नेहरू-नीति नहीं सिखाती आगे हो कर के लड़ना।
खेल कबड्डी का सिखलाता पीछे हट कर आगे बढ़ना,

सम्भल सम्भल कर दाव बचा कर दुश्मन को नीचे धरना।

चाल चिली "भाई-भाई" का हिंदुस्तान में आया था

भूल गया कुछ दिन पहले जापान ने मजा
चखाया था ।

सम्बल गए हैं हम भी अब मुहतोड जवाब दे देंगे
अगर किया दोबारा हमला, तो दांत खट्टे कर देंगे।
यह चाल है उस की अब पाकिस्तान को आग
करने की
चीनी चूहा तब निकलता है, जब आती है
मरने की

मैं नम्र निवेदन करता हू अगर चीन से लडना है
फूट न होन दो घर में, दुश्मन के अगर भूस भरना है।
एक सूत्र में बधे रहे, हम को न तनिक पिछड़ना है,
देशभक्ति की भावना सब के दिल में भरना है।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) उपाध्यक्ष महोदय डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के बारे में जो बात कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कही गई हैं, सब से पहले मैं उनका ही जवाब देना चाहती हू । चीनी आक्रमण के बाद, एमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद हमारे देश मे जो हालत पदा हुई, उसका मुकाबला करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ कारंवाई की, तो कोई बुरा नहीं किया और मैं अपनी गवर्नमेंट को उसके लिए धन्यवाद देती हू । मैं कम्युनिस्ट पार्टी को याद दिलाना चाहती हूं कि जो भी कम्युनिस्टों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस के बारे में वे कम्प्लेन कर रहे उसका मुकाबला अगर बारल में जो कुछ हुआ था, जिस वक्त कम्युनिस्टों का वहा शासन था, उससे किया जाए, तो पता चलेगा कि कुछ भी आज नहीं हुआ है । जब बेरल मे उनका राज था और जब यह डिफेंस आफ इंडिया एक्ट था ही नहीं तब उन्होंने कैसे रूल किया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती कैसा किया था ?

श्रीमती जयाबेन शाह : इसको सारा देश जानता है, यह सदन जानता है कि कैसा रूल था । इट वाज सिम्पली ए रेन आफ टैरर ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रिवेंटिव डिटेंशन कभी यूज नहीं किया था हम लोगों ने ।

श्रीमती जयाबेन शाह : क्या कुछ वहां नहीं हुआ था । इतना कुछ होने के बाद भी जब आप कम्प्लेंट करती हैं, तो आश्चर्य होता है। यह बात साफ हो चुकी है कि जब उनका वहां पर रूल था तो कितने ही कांग्रेसियों को कष्ट पहुंचाया गया, कितनों ही को मर्डर कर दिया गया और कितनों ही की जानें खतरे में थीं । इन सब बातों को सारा देश और यह सदन भी अच्छी तरह से जानता है । यही कारण थे जिन की वजह से उनका राज वहां खत्म हुआ । यह सब कुछ देख चुकने के बाद भी ऐसी वैसी बात अगर यहां पर की जाती हैं और इस तरह के विचार गवर्नमेंट के खिलाफ प्रकट किये जाते है, तो मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट के साथ वह अन्याय कर रहे हैं ।

यहा पर लेबरर्ज की बात भी की गई है और कहा गया है कि उन्होंने इतना प्रोडक्शन को बढाया है, इतना पैसा डोनेट किया है, इतना चन्दा इकट्ठा किया है । मैं कहूंगी कि लेबरर्ज में से ज्यादा तर लोग इंटक के साथ है । यह बात भी साफ हो जानी चाहिये । पार्टी तो रीजनेबल बात कहती है । मगर मेरी समझ में नही आता है कि क्यों आप इस पर आब्जेक्टिवली सोचते नहीं है । मैं समझती हू कि जिन छोटी छोटी बातों को ले करके कम्युनिस्ट भाइयों ने इस सदन का समय लिया है, वह उचित नहीं था ।

यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, वैसा किया है, इतने टेक्स लगा दिये हैं । पता नहीं और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होती, अगर हमारे रंगा साहब की पार्टी की गवर्नमेंट होती, जनसंघी भाइयों की गवर्नमेंट होती, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते है तो हमारे कम्युनिस्ट भाई क्या करते । लेकिन अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत होती तो हमारे कम्युनिस्ट भाइयों को अंडर-ग्राउंड जाना पड़ता, यह बात भी पक्की है । मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहती हूं कि वे अपने रवैये पर फिर से गौर करें और इस तरह की बातें कहना छोड़ दें ।

[श्रीमती जयाबेन शाह]

यह बात तो यों ही मैंने कह दी। जिस बात को खास तौर पर मैं कहने के लिए खड़ी हुई थी, उस पर अब मैं आती हूं। जो मेरा मेन परपज था, मैं स्कैवेंजर्ज की हालत आपके सामने रखना चाहती हूं। आज स्पेस का युग है, चन्द्रमा तक लोगों के जाने की बात है ऐसे जमाने में सिर पर नाइट सायल उठाने का जो सिस्टम है, वह हमारे यहां से अभी तक नहीं मिटा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए कुछ रकम रखी गई थी। जो रिपोर्ट यहां पेश की गई है वह दो बरस पुरानी है। उस में जो कुछ कहा गया है उससे पता चलता है कि उस धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। तीसरी योजना में इसके लिए जो पैसा रखा है, उसका अभी तक कितना उपयोग हुआ है, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि उसके आंकड़े नहीं दिये गये हैं मैंने चाहती हूं कि जो भी रकम रखी जाए, उसको पूरे तौर से खर्च करने की कोशिश की जाए। डेमोक्रेसी में ह्यूमन डिगनिटी बहुत जरूरी होती है और आदमी की पूरी पूरी प्रतिष्ठा होनी चाहिये। जब हम किसी इंसान को अपने सिर पर मैला ले कर चलते देखते हैं तो हमारे दिलों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह नजारा हम से देखा नहीं जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो मिट नहीं सकती है। हमने यह तय किया है कि तीसरे प्लान के दौरान में हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन जिस गति से हम चल रहे हैं, इसी गति से चलते रहे तो तीसरी योजना में भी यह काम पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिए ज्यादा कोशिश होनी चाहिये और पैसा भी ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये। जो योजनाएं बनती हैं वह परसेंटेज के बेसिस पर चलती है और आप चाहते हैं कि कुछ पैसा लोकल आथोरिटीज दें, म्यूनिसिपलिटीज दें, खर्च करे। उनके पास इतना पैसा होता नहीं है। साथ ही उन में इतना उत्साह भी नहीं होता है। इस कारण से काम नहीं बनता है। मैं चाहती हूं कि इस बारे में फिर से सोचा जाए और इस प्रथा को जल्द खत्म किया जाए।

अब मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हमारे देश में ला एंड आर्डर की स्थिति दिन-प्रति-दिन गिरती हो जा रही है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। इमारेल ट्रैफिक इन विमेन यहां पर बढ़ रहा है। जितना इसको मिटाने की कोशिश की जाती है, उससे भी आगे यह बढ़ रहा है और कहीं कहीं तो उस में पुलिस अफसर भी शामिल हो जाते हैं जिस की वजह से उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देहाती एरियाज में, रूरल एरियाज में लोगों की सिक्योरिटी का आजकल क्या हाल है, इसको भी आप देखें। लोगों को कानून का जो प्रभाव था वह डर खत्म हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि जो अनडिजायरेबल एलीमेंट्स हैं, वे सिर उठा रहे हैं। उनको काबू में करने का कोई न कोई तरीका अवश्य सोचा जाना चाहिये। अगर डेमोक्रेसी में लोगों के दिमागों में ऐसी भावना आ जाए कि कानून से कुछ नहीं हो सकता है और वे निराश हो कर बैठ जायें, तो यह खतरनाक बात बन सकती है। जितने क्राइम्ज होते हैं, वे सब के सब रजिस्टर भी नहीं होते हैं और कोर्ट में जाने से लोग डरते भी हैं। वहां पर जो परेशानी होती है, उसको वे मोल लेना नहीं चाहते हैं। यह सवाल बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूं कि इसको हल करने का कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिये। हमारी जनता अनपढ़ है, उसको पूरा नालेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि किसी चीज को कैसे करना चाहिये। जैसी भी यह जनता है, उसको आप को नजर में रखना होगा और उसको देख करके ही कानून बनने चाहिये और उन पर अमल होना चाहिये, उनका इम्प्लेमेंटेशन होना चाहिये।

अब मैं प्रोहिबिशन के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। जब भी टैक्सों की बात आती है तो कहा जाता है कि प्रोहिबिशन को खत्म कर दो। मैं कहती हूं अगर इसको खत्म कर दिया गया तो हमारे देश का मारल आज से भी कहीं नीचे

चला जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि हम को अपना स्तर ऊंचा उठाना है, तब वह कैसे हो सकता है। जिन्होंने देहाती एरियाज में और लेबरर्ज में काम किया है, वे कहते हैं कि इस प्रोहिबिशन से उनको बहुत फायदा पहुंचा है और उसको देखते हुए इस पालिसी को और आगे बढ़ाया जाना चाहिये और देश में कम्पलीट प्रोहिबिशन लागू होनी चाहिये। अब मैं कनवर्शंज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो मिशनरीज या मिशन हिन्दुस्तान आए हैं, उन्होंने जितने भी सेवा के कार्य किए हैं, उन सब के लिए मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं और उन सब के लिए मैं उनका शुकरिया अदा करती हूं। लेकिन उनका जो आब्जैक्ट है वह बहुत ही आबजैक्शनेबल है। वे गरीब लोगों के बीच जा कर ट्राइबल लोगों के बीच जा कर उनके लिए शालायें खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं और साथ साथ उनका कनवर्शन भी करते हैं, और ये वारदातें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। इसकी कितनी इंटैंसिटी है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब यहां पर नागालैंड बनाने का बिल आया था तब इस सदन के ज्यादा तर माननीय सदस्यों ने कहा था कि लैंड शब्द को हटा दिया जाना चाहिये और उसके स्थान पर भूमि या प्रदेश शब्द रखा जाना चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने उस वक्त कहा था कि वे लोग लैंड शब्द रखने के बहुत आग्रही हैं। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह है कि वे हमारी लैंगुएज को, अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को मिटाने की कोशिश में हैं। इस तरह की जो कोशिशें मिशनरीज की तरफ से होती हैं इन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

कुरप्शन का बहुत से माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। उन्होंने बहुत जोरों से इसका जिक्र किया है। किस तरह से यह हट सकती है, वह उन्होंने नहीं बताया है। मैं इस से उनके साथ सहमत हूं कि हमारे देश में जो कानूनी बातें चलती हैं, उन से लोगों को बहुत परेशानी होती है और उसकी वजह से कुरप्शन बढ़ती है। उसका सामना करना सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक कमेटी या कमिशन बनाया जाए। वह इस बारे में सोचे और ऐसा कानून बनाये, ऐसा कोई प्रोसाजर रखे, जिस में गरीब जनता को फायदा हो।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I understand my responsibility in intervening in the debate to be of a two-fold character: first of all, to give an account of the Home Ministry's administration of that part of the Government which was committed to their charge, and secondly, if possible, to answer criticism and to allay apprehensions which may have been expressed in the House. As regards the first part, we have brought out a slim volume of what has been done during the last year, and it was only yesterday that one whose name I am not in a position to disclose but who is a very high authority on parliamentary affairs, complimented the Home Minister and the Home Ministry on bringing out a report which is only factual. But facts are sacred; comment is free. So far as the Home Ministry is concerned, it believes in giving a factual, objective account of what has been done leaving everyone to draw such inference as he pleases to draw.

7.5 hrs.

In the first part of my submission to the House, I would try to supplement the facts which have been stated in the annual report by certain fuller details. In stating all the facts, both in personal life and as a political responsibility, I would say that whoever states the facts must follow the directions which Cromwell gave to his painter; that he must give the true picture, containing imperfections, blemishes, wants and all so that nothing will be hidden and nothing will be extenuated.

[Shri Hajarnavis]

The first thing I would mention to the House is that the census of 1961 which was a gigantic and stupendous operation was completed this year. As we are aware, it consisted of eliciting information about more than 440 million individuals. If we have to undertake any planning, mobilise our resources and mobilise our manpower, whether it is for planning or for the purpose of defence, it would be necessary to have accurate and full data. That has been achieved and learning from the experience which we had gathered in the previous census and also taking into account our requirements for the purpose of planning, we have undertaken to do some things this time: the first thing we tried to do was to bring uniformity to bear upon all the operations all over the country. Secondly, we undertook 11 schemes. What we did was to collect and process vital statistics, present them and modify the administrative machinery for this purpose. Four of these schemes have already been implemented and seven are being considered.

Then we have also undertaken annual sample surveys of the population in order to determine how far and in what manner we can obtain fuller and more reliable details. I take this opportunity to extend and express my profound gratitude to all the authorities and all the persons who co-operated with the Government in performing this very essential and useful task.

After ascertaining the manpower, comes the question of the mobilisation of manpower. For this purpose, in the Home Ministry we have a directorate. This responsibility was entrusted to it in 1956. It is called the directorate of manpower. After the emergency, the work of this directorate assumed very great importance. What we have done during the last three years is to maintain the scientific pool. This scientific pool is administered by the Council of Scientific & Industrial Research. We started with a quota of 100 persons to be maintained on the roll of the scientific pool. That has now been increased to 500. Each person, as soon as he enters the scientific pool, is entitled to a minimum payment of Rs. 400 a month, which is increased if the qualifications so require. We have set up another institution with the help of the Ford Foundation, and that is called the Institute of Applied Manpower Research. At present it is housed in the campus of the Institute of Public Administration, but we are constructing a small building in the compound of the Institude at a cost of Rs. 5 lakhs. I express my gratitude to the Ford Foundation who have also agreed to pay half the non-recurring expenditure which will amount to Rs. 5 lakhs per year. The House will be glad to know that we have completed one project of inestimable value. The name of that project is Population, working force and education in India and Mainland China—a comparative study. I need not dilate upon how important would be such a study.

Then we have further projects in hand. One is, Fact Book on Manpower. Another is, the Economic Development of India and Mainland China, which is a companion volume to the first one. Then there is the Requirement of Technical Manpower of State Governments; classification of technical personnel etc. There are further projects, and I would not take the time of the House.

Another important task that we undertook, that is, the directorate, was to obtain the information relating to the availability of technical personnel. All countries at this time, especially the backward or undeveloped countries are in short supply so far as technical personnel are concerned. The first is engineering personnel and the other is the medical personnel. For this purpose we have appointed a committee under the presidentship of Professor Thacker, who is a member of the Planning Commission and who was Secretary of the Ministry of Sci-

entific Research and who is one of our distinguished scientists. As a result of the deliberations of the committee, it has been decided to request, if possible, universities and academic authorities to reduce the period of passing out of the engineering graduates from five years to a lesser period. This is to be achieved by students forgoing the vacations and receiving additional instruction. Similarly, so far as the medical personnel are concerned it is decided to reduce, if possible, the duration of the course from five and a half years to four and a half years by omitting the internship period; and together with this, it is also decided, if possible, to increase the number to 200 in established colleges.

What is no less important—perhaps more important still—is the training of auxiliary nurses. With the cooperation of the Ministry of Health we have decided, if possible, to train 10,000 of the auxiliary nurses. That is the account of the manpower directorate.

I am sorry Shri Ranga who made certain observations and expressed concern about the Union territories—what he called discriminatory treatment received by Delhi—is not here now. Had he been here, I would certainly have begun by sending an arrow or two in the direction of his feet so as to pay my homage to the venerable Acharya. But unfortunately he is not here. But I will merely state the facts. I will first recapitulate what he said yesterday. He said that Delhi was allocated much larger sums than the other Union territories. If you go by the figures it is quite true, but they must be read in conjunction with the other figures. I will read out the figures of the receipt and expenditure of each of the Union territories. I will omit the fractions and give the figures. For Delhi in 1961-62 the receipts were Rs 1607 lakhs and the expenditure Rs. 2827 lakhs. In 1962-63, the receipts were Rs. 1422 lakhs and expenditure was Rs. 3664 lakhs, i.e. about two and a half times. In 1963-64, the budget estimates are, the receipts will be Rs. 1425 lakhs and the expenditure will be Rs. 3506. It works out to 231 per cent. The expenditure is 231 per cent compared to the receipts.

Then we come to Himachal Pradesh, about which particularly the Acharya expressed concern. In 1961-62, the receipts were Rs. 364 lakhs and expenditure Rs. 2047 lakhs. i.e. about 6 times or more than 600 per cent. In 1962-63, the receipts were Rs. 501 lakhs and expenditure Rs. 2066 lakhs, i.e. about 400 per cent During the year 1963-64, the budget estimates are, the receipts will be Rs. 526 lakhs and expenditure Rs. 2088 lakhs, which works out to 396 per cent. Similarly in the case of Laccadive and Minicoy Islands it is 7233 per cent, Andaman and Nicobar Islands 352 per cent, Tripura 2027 per cent, Manipur 895 per cent and Delhi 231 per cent. In Delhi, which has the responsibilities of the capital of a nation and, shall I say, the advantages also, the percentage of expenditure is only 231, which is the lowest, so far as the Union Territories are concerned.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): That will give the others a handle; they will say that the percentage for Delhi is the lowest.

Shri Hajarnavis: Facts are sacred.

As regards Himachal Pradesh, I have already given the third Plan allotment. There was a package programme launched in Mandi District in collaboration with the West German Government for intensification of agricultural production and improvement of animal breeds. An agricultural college also started functioning in July 1962. An area of 19,753 acres was brought under irrigation during the second Plan period. There is a further programme of bringing under irrigation 27,000 acres more. The area under orchards has also doubled. So there has been all-round development. The House will be glad to know that almost the whole of the second Five

[Shri Hajarnavis]

Year Plan allocation was spent in Himachal Pradesh and other Union Territories.

In Manipur, the Imphal water-supply and electricity schemes are going on. The Imphal water-supply scheme is estimated to cost about Rs. 13·8 lakhs. Contract for the manufature of steel pipes has been alwarded and good progress has been made on the construction of filter house.

Similarly there is the Leimakhong Hydel Scheme which also will take about 4 years to complete. The work is in progress in right earnest. Communicatioss are also being improved. I need not dilate upon the difficulties which are encountered in constructing roads and other commuications in this area. The new Cachar Road of about 150 miles is being constructed.

In Tripura also, during the current year 64.5 miles of new roads have been constructed and 55 miles of existing roads have been surfaced. Work on the construction of about 400 miles of border road has been taken up. This being a border area, in view of the present emergency, the Administration have undertaken particular care to see that a buffer stock of all essential commodities is kept and they are not in short supply.

Similarly, there is progress in other Union Territories also. I will stick to my commitment and I will not take more than 30 minutes.

13.15 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Kamath mentioned corruption. Of course, he is a fair man and he said that it is endemic. But he added that during the British regime which he detested, the values, the norms, were better. I entirely refute the charge. I do not think that the values and standards have lowered. We have raised them. Today There is more education; there is more political and social consciousness. The behaviour which would have been accepted as normal then today shocks everyone. I do not deny, of course, that there is corruption. There is corruption and I agree with Mr. Kamath when he says that the corruption is endemic; it has all along been endemic. We have to make resolute attempts to eradicate it. But to say that the whole thing will or ought to disappear in a year's time or in 5 or 10 years' time is not to understand, shall I say the nature of the problem. Corruption has existed in all climes and at all times. It will always exist.

Dr. U. Misra (Jamshedpur): His point was that corruption has increased.

Shri Hajarnavis: I am not prepared to say that the degree of corruption has in any way increased. Government used to have an activity of a certain dimension during the last 15 years. The activity has increased so much. The House will remember that just as diseases increase as population increases, crimes increase as population increases. But I am not prepared to say that the morals of the people in general have deteriorated. I suggest there is a better standard. People will not allow a thing to pass muster without comment, which under foreign rule, they would not have objected to.

If Mr. Kamath were here, I would have asked him a question. There is a letter which he wrote at the time of his resignation in which he mentioned certain members of the service to which be belonged and they were non-Indian, British men. I remember one particular member was a Scottish member and I very well remember the phrase which Mr. Kamath used at that time. Mr. Kamath uses always picturesque language, sometimes mordant. It was a very telling phrase which he used which has stuck to my memory. That Scottish officer had taken from the treasury certain silver service and not replaced it. Certainly it was a wrong thing to do. Everybody accepted that it was a wrong thing but no action was taken. Mr.

Kamath used the pharase, "The Scott went scot-free". That phrase has remained in my memory. Therefore. there have been corrupt people, wrong-doers, in every community and at every time. Here it has become noticeable because, as I said, the administration of the Government has increased from a budget of Rs. 100 crores to Rs. 800 or Rs. 900 crores. We have entered areas and undertaken functions which the Government in the British time did not think of undertaking. But, by and large, I do not admit that there is this corruption. I was in the United States. I used to hear the same comment about the police there. Take. again, the case of United Kingdom. There a Police Commission has been appointed. Only recently a book has been published from reading of which, if my countrymen feel too much depressed because of. shall I say, malaise, miasma and other things which Shri Kamath mentioned, they can feel some comfort. I might read a passage from a book which was published only last year. This is called *Police and the Public* published by Rolph in 1962. Therein it is said:

> "Most of our policemen are all that can be desired and it would be ungrateful not to recognise this. But the number and the delinquencies of the black sheep are too many for the good name of the Force as a whole both in London and the provinces. A combing of our daily newspapers reveals the sad fact that many police officers get convicted, sentenced, and imprisoned for petty thefts, housebreaking, burglaries, assaults, cheatings, sexual and other offences."

Then it says on the next page:

> "Police bribery ought to be ruthlessly stamped out. There is far too much of it;"

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Does my hon. friend not know that after this book was published and these complaints have been made, they appointed a Royal Commission which has submitted its report regarding the working of the police in the United Kingdom, and they found that most of the complaints were not justified?

Shri Hajarnavis: I do not know. I take the inforamtion from my hon. friend. I did not know that the report had been published (*Interruption*). But I am quite confident that if a similar Police Commission is appointed in this country, most of the things that are talked here will also be found to be without any justification.

An Hon. Member: A wonderful inference.

Shri Hajarnavis: Just as allegations are made here, allegations were also made in that country which has a long tradition of democracy, a long tradition of independence.

Shri Harish Chandra Mathur: There is no centralised police in the United Kingdom at all.

Shri Hajarnavis: So what?

Shri Harish Chandra Mathur: That makes the whole difference. There is no centralised control even. There are hundred and one authorities there.

Shri Hajarnavis: Therefore, I would say that most of these things which are said are not true. I do not condone any of them. I do not extenuate any of them. They ought not to have been there. We ought to be vigilant. We ought to take all possible precautions to see that such a thing is completely rooted out. But vigilance does not mean creating a sense of insecurity among all the people in the offices or amongst the police force. They ought not to feel while they are working someone is breathing down their neck, someone is watching them very closely. On the contrary, their feeling must be that so long as they are right, so long as they do nothing wrong, no one will touch them, no one will be able to affect their prospects

[Shri Hajarnavis]

merely because somebody is displeased or because people get displeased with an officer when he is not able to comply with their wishes. They should feel that such a man will not be able to bring their reputation into disrepute or into question Let there be vigilance by all means. But certainly it is not everybody's case, it is not anybody's case, that all officers are corrupt. There are blacksheeps everywhere. Therefore, in carrying out the duty of vigilance we must also see to it that the honest officers feel that they are secure and their promotion is secure so long as they discharge their duties faithfully.

Shri Mathur mentioned about government servants. I am sorry, I shall have little time to deal with it. But I can only say this, that the two hon. Members of this House who devoted a considerable portion of their speeches—I listened with very great interest to both of them—have had a very distinguished career as administrators, and I am not quite sure whether Shri Mathur, the Member of Parliament, and Shri Kamath, the Member of Parliament, do not owe a great debt to Mr. Mathur, the Administrator or Mr. Kamath, the Administrator.

Dr. L. M. Singhvi: They are not in arrears of debt now.

Shri Hajarnavis: They have still to acknowledge it. Now, if a charge is made that the civil service of this country is not co-operating with the democratic process and it creates hindrance, I repudiate that charge emphatically. We get perfect co-operation and excellent and reliable guidance, and I do not know what the Government would be without a service of this quality and of this loyalty. It is only four years that I have this experience of the administration. I have never found that when a proposal has been made by the political chief an objection has been raised merely in order to obstruct the political chief from carrying out what he considers to be necessary. It will really always be that a decision taken at the Government of India level affects a large number of people, a large number of States and it has impact upon a very large area. It would be necessary, however obsessed a Minister may be with a particular scheme or with a particular idea, however convinced he may be that it is particularly good, and even if it is really good, that like all theories, like all new proposals, it must be subjected to a searching criticism. And, it is the test of a good act or a good theory that it suffers such an examination. As soon as a proposal goes, it has got to be examined in various places. It is not to be implemented in a room. Its wider implications must be examined. It involves expenditure of money. It involves deployment of officers, of services. Its effect must also be visualised. Therefore, while the Minister may be the prime mover, the minister may supply the enthusiasm, the energy and the fresh outlook upon a certain Ministry, the guiding lines on which such a scheme has to proceed must necessarily be laid by the civil servants. That task it does very efficiently and very loyally.

Shri Harish Chandra Mathur: The hon. Minister has misunderstood. My complaint was not against the services. My complaint is against the Ministers that with the exception of a few they have succumbed to the bureaucracy.

Shri Hajarnavis: I do not think so. Because a Minister has to abandon a proposal which does not bear scrutiny, the Minister does not succumb to the service. He has adopted the right course I will deal with that later. The civil service is a very delicate and a powerful apparatus. We can smash it.

Shri Harish Chandra Mathur: No doubt about that.

Shri Hajarnavis: But if we do so, then it will be a national disaster. If we know how to utilise it, how to work it, then the results will repay

any effort that we make to strengthen it, to better it. I leave it at that.

Shri Harish Chandra Mathur: I fully agree.

Dr. L. M. Singhvi: What about political corruption?

Shri Hajarnavis: I am so trained on account of my profession that unless facts are stated I do not reply to it. I take no notice of it.

Dr. L. M. Singhvi: That is one way of living in an ivory tower.

Shri Hajarnavis: As regards the grievances of the staff, I must pay compliment to Shri Mathur because I agree with him. I entirely agree that once somebody has a grievance that grievance must receive immediate redress. He must feel that there is a machinery or someone to whom he can appeal, and the proceeding which is taken in respect of a grievance must be fair, must be impartial. The decision must also be quick and it must be accepted as final. I give this assurance to every person who works with us, who belongs to us, that if anybody files an appeal, if anybody makes a representation, we will see to it that the person who decides, the authority which decides, will give him a full hearing; not necessarily that he will agree with him, but he will give him a full hearing, that everything that he has to say will be heard and, after that, such decision as he thinks fit will be taken. But, it will be appreciated, every single case cannot go up to the level of the Minister. It often happens that after the Home Minister has seen the case, not once but twice, again the aggrieved person goes to some M.P. and makes him write to us. That is a natural phenomenon because a person against whom we have decided can never be convinced that what has been decided against him is right. Individual grievance will continue to smoulder him. That happens. But, when an M.P. writes to us, we consider it our duty to go through it over and over again. And if the Home Minister will pardon me for saying it, can anyone find a more tender-hearted person than the present Home Minister?

Shri Buta Singh (Moga): What has been done on the representation of Shri R. P. Kapur to the hon. Home Minister?

Mr. Speaker: That cannot be taken up now.

Shri Hajarnavis: Sir, through you I assure the Members who have expressed concern over our staff that where a question of principle is involved we will certainly be glad to consult and seek advice from their unions. We expect their unions to grow in strength, to grow in solidarity, to grow in usefulness. We will consult them. In individual cases we will give that person a full hearing. That, I think, ought to satisfy the hon. Members.

Shri Karni Singhji (Bikaner): Mr. Speaker, Sir, I will try to be as brief as possible. There is a subject that is exercising our minds and I think I would be failing in my duty if I do not bring it to the attention of the House. You might have read in the papers about the large number of dacoities that have been taking place between the borders of Rajasthan and Pakistan, some of which have been so glaring and so distressful that I wonder that fifteen years after independence, how is it that such things can take place in our country. I shall only read out from the *Hindustan Times* of 21st March, 1963, which mentions that:

> "dacoits kidnapped a Rajasthan Armed Constabulary Officer and another man from outposts in Bikaner district last week and took them across the border to Pakistan in a stolen jeep."

This is really something that has taken away my breath, because I could not possibly imagine that police-

[Shri Karni Singhji]

man, with sufficient modern weapons could be, first and foremost, kidnapped and then their jeeps captured and taken across to Pakistan, and all we have done is practically nothing. I would very much like the hon. Home Minister who, I am sure, is very much exercised in his mind over this matter, to enlighten the House as to what steps are being taken in this regard and also what arrangements we have with Pakistan for the repatriation of these dacoits who belong to India, who now live in Pakistan and carry out these dacoities in our country.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Did the hon. Member say "repatriation of dacoits"?

Shri Karni Singhji: I meant extradition, I beg your pardon; I stand corrected.

Then, a question has been before my mind for quite some time now of our having, what I call, a Central Border Police force which would be available for all the States that have an international border. That, of course, would apply to the borders that we have with Pakistan on both sides, as also with China. I believe that this idea was once discussed during the time of the late Pantji in the meetings of the Zonal Council but, for some reason or other, it was dropped. I think this is a matter that should really be re-examined. Some of the advantages that we would have would be, firstly, a co-ordinated approach to the above and other allied problem by one central police and, secondly, avoiding the risk of political or other influence on policemen and, thirdly, above all, Parliament would have better control over matters relating to the rounding up of those dacoits that are now menacing this country.

I shall not take up any more time of the House, but I would very much like the hon. Home Minister to throw some light on this suggestion that I have made, and I do hope that the Central Border Police force if it ever comes up, would be able to solve the dacoit problem once and for all.

श्री गुलशन (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो रोज से होम मिनिस्ट्री पर हो रही बहस को सुन रहा हूं। होम मिनिस्ट्री पर देश का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है । इस समय तो इस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, जब कि देश में संकट-काल है ।

इस बहस में दो तीन विषयों पर बहुत चर्चा चली है। पहली बात तो यह है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है । जब आनरेबल श्री लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर बने, तो देशवासियों को यह आशा थी कि चूंकि वह देशभक्त, ईमानदार और काम को सच्ची लगन से करने वाले हैं, इसलिये अब हालत में कुछ सुधार होगा । मैं इस बात को समझ सकता हूं कि भ्रष्टाचार का समुन्दर बहुत बड़ा है, जिसकी लहरें बहुत बढ़ गई हैं और शास्त्री जी का शरीर छोटा है और इसलिए पता नहीं कि वह इस को कैसे पार करेंगे । लेकिन उनकी गम्भीरता से तो कुछ आशा होती है कि शायद वह इस को पार कर जायें । मुझे याद है कि जब वह रेलवेज के मंत्री थे, तो एक हादसा हुआ, जिस को वह सह न सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया ।

आज भ्रष्टाचार की हालत यह है कि बहुत बड़े स्कैंडल होते हैं, स्मगलिंग होती है, डकैतियां पड़ती हैं, कत्ल होते हैं । पिछले दिनों हम ने अखबारों में पढ़ा कि तांबे का तार बहुत बड़ी मिकदार में पकड़ा गई । भाखरा का स्कैंडल हुआ । जब किसी को पकड़ने की बात हुई, तो क्या कोई डायरेक्टर पकड़ा गया या इंजीनियर पकड़ा गया या कोई बड़ा अफसर पकड़ा गया ? नहीं । कोई कांस्टेबल, कोई पटवारी, कोई क्लर्क पकड़ा गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग रिश्वत लें, तो देश को उतना नुक्सान नहीं पहुंचता, क्योंकि वे दो, चार पांच रुपये

लेते हैं, लेकिन देश को लाखों करोड़ों रुपयों का नुक्सान करने वाले जो लोग हैं, उन के साधन भी उतने ही बड़े हैं और इस लिये वे बच जाते हैं । यह जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस के कारण क्या हैं? क्यों यह रुक नहीं रहा है ? यह समन्दर इतना क्यों चढ़ गया है ? इसका कारण यह है कि छोटे से लेकर बहुत दूर तक यह लिंक बना होता है । मैं ने कल अखबार में पढ़ा है । बीकानेर में बीकानेर जिले के कांग्रेस के प्रेजीडेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है । क्यों पकड़ लिया है, इसको भी आप देखें । उनको इसलिये पकड़ लिया गया है कि वह डकैतों के साथ मिले हुए थे, लूट मार का जो माल है, उस में उनका हिस्सा था । मैं इस बात के लिये वहां की पुलिस को बधाई देना चाहूंगा . . .

श्री त्यागी : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर सोच रहा था .

श्री त्यागी : क्या यह मुकदमा तय हो गया है या अभी चलना है । अगर फर्ज कीजिये यह सब-जुडिस है तो इस तरह की बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहना और उसका जिक्र करना कि उसका ताल्लुक क्या था, नाजायज बात है ।

श्री गुलशन : कल ही अखबार में यह निकला है । मेरे पास अखबार पड़ा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : एतराज यह है कि जब एक आदमी पकड़ा गया है और उस पर यह इल्जाम है कि वह डकैतों के साथ मिला हुआ था और वह दे रहे हैं मुबारिकबाद पुलिस को कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है अब अगर अदालत उसको बाद में बेगुनाह करार दे देती है और कह देती है कि बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर आ करके यह कह देना कि मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने . .

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मुबारिकबाद दी जा सकती है । मैरिट्स पर वह नहीं कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता है कि अब पकड़ने वालों को दें और बाद में जब पता चले कि पुलिस ने गलती की और अदालत उसको छोड़ दे तो फिर अदालत को मुबारकबाद दें । मैं सिर्फ इसलिए खामोश था कि वह कुछ इंटर-स्टेट मामले के बारे में कह रहे थे । वर्ना यह ला एंड आर्डर की बात है और स्टेट का मामला है और यहां नहीं उठाया जा सकता है । कुछ लफ्ज उन्होंने ऐसे कहे इंटर-स्टेट के कि मैं उस वक्त कुछ सोच में पड़ गया कि आया स्टेट गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक है या नहीं, आया खामोश रहूं या कुछ कहूं । वैसे एक स्टेट की ला एंड आर्ड की पोजिशन आप नहीं ले सकते हैं इस वक्त ।

Shri Kapur Singh: If I may say so, he is underlining the principle of the matter and not the incident as such, if I understood him correctly.

अध्यक्ष महोदय : उस में भी असर हर एक पर पैदा होगा । आप तो शायद आपस में साथ होंगे मगर जो आम पब्लिक पर असर होगा, वह ठीक नहीं होगा ।

श्री गुलशन : एक स्टेट का मैं ने जिक्र किया, इसलिए इस पर एतराज हुआ । लेकिन हिन्दुस्तान तो एक है । ये जितने स्टेट्स हैं, ये इस शरीर के कान हैं, नाक हैं, आंखें हैं और जो सारा शरीर है वह भारत है । हिन्दुस्तान अलग अलग स्टेट्स से बना हुआ है और केवल एक स्टेट का ही नाम हिन्दुस्तान नहीं है . . . .

अध्यक्ष महोदय : हमारी कांस्टीट्यूशन ऐसी है कि आंख का एक जगह जिक्र किया जा सकता है, कान का दूसरी जगह और तीसरी चीज का तीसरी जगह और जो सब का इकट्ठा हो वह यहां हो ।

श्री गुलशन : मैं सब को इकट्ठा कर रहा हूं । एक मिसाल ही मैंने दी है । अब मैं दूसरी बात पर आता हूं । यह तो मैंने एक नमूना पेश किया है कि पुलिस वालों को मुश्किल पड़ जाती है उस वक्त जब उनको मजबूर किया जाता है कि भाई यह तो हमारा आदमी है, कोई बात नहीं । बेचारे पुलिस वालों का भी बाद में पता नहीं क्या बनता है । मैं यह कहने वाला था कि उन्होंने हिम्मत तो दिखा दी लेकिन पता नहीं अब किस मुसीबत में वे पुलिस वाले पड़ेंगे ।

अब मैं दुसरी बात पर आता हूं । यहां पर शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों का मसला आया है और बहुत चर्चा उसकी हुई है । मैंने पिछले साल भी सर्विसेस के बारे में आंकड़े दिए थे और अब भी मेरे पास बहुत से हैं । चूंकि वक्त नहीं है इस वास्ते मैं देना नहीं चाहता हूं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक उन लोगों के रहन सहन का ताल्लुक है, वे जब सरकार की योजनाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके सामने बहिश्त का नक्शा आ गया है लेकिन जब उसके अमल को वे लोग देखते हैं तब उनको पता चलता है कि कुछ भी नहीं निकलने वाला है ।

पिछले साल की रिपोर्ट में, १९६१–६२ की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि शैड्यूल्ड कास्ट लोगों में जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ३३० ब्लाक खोले जायेंगे । लेकिन इस साल की रिपोर्ट में, १९६२–६३ की रिपोर्ट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया पंजाब में पिछले साल आठ करोड़ रुपये के नये टैक्स लगाये गये थे शैड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर और यह रकम लोगों से वसूल भी कर ली गई थी । पता नहीं वह रुपया कहां चला गया है । हरिजनों की तो वही पुरानी झोंपड़ियां हैं, वही पुराने घर हैं, वही पुराना रहन सहन है और इतना ही नहीं बल्कि उनकी बेरोजगारी और भी बढ़ी है । क्यों बढ़ी है, इसको भी आप देखें । वह इस लिये बढ़ी है कि किसान जो हैं उनकी जमीन पर सीलिंग लगा दिया गया है । कुछ फ्लड्ज के कारण जमीन खराब हो गयी है, जहां तक दुकानदारों का सम्बन्ध है, उनको टैक्सों ने दबा लिया है । जहां तक कारखानेदारों का सम्बन्ध है, जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी लिमिट होती है और उनके कारण भी वे परेशान हैं । रोजगार लोग भी बेकार हो गए हैं । कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि काम नहीं मिलता है ।

मैं मानता हूं कि सरकार ने इन पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में, पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में तथा उनकी स्थिति की समय समय पर जांच पड़ताल करते रहने के उद्देश्य से एक कमिश्नर की नियुक्ति की हुई है । उसकी जो रिपोर्ट है, उसको अगर देखा जाए तो किसी भी पन्ने को पढ़ कर प्रसन्नता नहीं होती है सन्तोष नहीं होता है । सरकार कहती है कि उसने विद्यार्थियों के लिए, जो कि हरिजन हैं, बहुत कुछ किया है । लेकिन कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट में यह बताते हैं कि सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जो रूल्ज बनाए हैं, उन से साधारण जो विद्यार्थी हैं वे फायदा नहीं उठा सकते हैं । बात भी ठीक है, मेरे पास हिन्दुस्तान के कई हिस्सों से पत्र आए हैं । विद्यार्थी कालेज में पढ़ रहे होते हैं, उनको साल साल तक वजीफा नहीं मिलता है । वह किस तरह से ऐसी हालत में अपनी स्टडीज जारी रख सकता है । हमने पिछले साल माननीय मन्त्री जी को पत्र लिखे थे और उनके जवाब भी आ जाते हैं लेकिन फिर भी दो दो साल तक कागजी चक्कर चलता रहा है और फिर कह दिया जाता है कि अब तो डेट गुजर गई अब वजीफा नहीं मिल सकता है ।

इसी तरह की बातें जो लोग बाहर भेजे जाते हैं, उनके साथ भी होती हैं । रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में एक साल छः विद्यार्थी सिलैक्ट किये गए थे लेकिन एक को भेजा । दूसरे साल में बाहर सिलैक्ट

किये गये, लेकिन सिर्फ तीन भेजे। बाक़ी की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि इस तरह की बातों की सूचना वे कमिश्नर साहब को दें। सरकार की नीयत कितनी भी साफ क्यों न हो, वे वैसे राजी हो सकी हैं। मैंने देखा है कि इन लोगों में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ रही है। ८० प्रतिशत इन में वे लोग हैं जो तब से नंगे, पेट से भूखे और बिना झोंपड़ी के नंगे अम्बर के नीचे सोते हैं। उन की तरफ आपका खास तौर पर ध्यान जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस गृह मंत्रालय पर है और वह जिम्मेदारी देश में लोगों का आपस में तालमेल बनाये रखने की है। अगर वह इस में कामयाब होता तो इसमें उसकी सयानत ही मानी जाएगी। देश में जो कम गिनती वाले लोग हैं उनके और बड़ी गिनती वाले लोगों के बीच में तालमेल करवाना इस महकमे का काम है। माननीय प्रधान मन्त्री, माननीय होम मिनिस्टर साहब, माननीय राष्ट्रपति जी जब कभी सिखों के बारे में कुछ कहते हैं तो उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रहते हैं। बात भी ठीक है। सिख हमेशा देश के बहादुर सिपाही रहे हैं, और देश को आजादी में उन्होंने आगे होकर काम किया है, आगे बढ़ कर हिस्सा लिया है, उन्होंने देश की खातिर सेना में भरती होकर बढ़ चढ़ कर कुर्बानियां की हैं, नेफा में की हैं, लद्दाख में की हैं। उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वह बेमिसाल हैं। लेकिन उनकी अपने भरोसे में लेना भी बड़ा जरूरी है उनको जो गिला है उसको दूर करना भी बड़ा जरूरी है। वह कहते हैं कि उनके साथ कोई समझौता होना चाहिये था जैसे कि पीछे सिख लीडरों के साथ हुआ था, सच्चर फार्मूला और उसके बाद रीजनल कमिटी का एक समझौता हुआ। लेकिन बाद में प्राण उसमें से निकल गये और लाश पड़ी रह गई। यह भी कहा जा रहा है कि जब कभी धर्म का कोई काम आता है तो उस में भी दखल होता है। तो ऐसे एतराज जो हैं उनको दूर करना चाहिये। इस वक्त देश को एकता की जरूरत है। जैसा पीछे देखा गया कि कई जगह पर ऐतराज हुआ कि जब पाकिस्तान में गुरुद्वारे की यात्रा में जाते हैं तो वहां भी पुलिस की तरफ से पूछा जाता है कि भाई, तुम अकाली दल के मेम्बर तो नहीं। अभी उड़ीसा और बिहार की सरहदों पर झगड़े फसाद हुये। पंजाब की विधान सभा में होम मिनिस्टर के उत्तर देते हुये कहा कि हां, वहां पर बहुत से पंजाबी हैं। तो पंजाबी कौन थे? अखबारों में खुलकर लिखा गया है कि सिख थे। झगड़े फिसाद होते हैं तो उनमें सयानत से काम लिया जाना चाहिये। हमारे पंजाब के एक कम्युनिस्ट नेता श्री तेजा सिंह स्वतंत्र को रिहा किया गया है। मुझे कोई एतराज नहीं कि उन्हें क्यो छोड़ा गया। ऐतराज तो इस बात का है कि पन्द्रह साल उन का वारंट रहा। अगर वह दोषी नहीं थे तो पन्द्रह साल उनको दोषी ठहरा कर क्यों रक्खा गया और अगर वे दोषी थे तो पन्द्रह साल वारंट क्यों रहा? इसमें सयानत से काम लिया जाना चाहिये। इसके लिये इस बात को कहा गया कि उन्होंने भरोसा दिया कि वह देश की सुरक्षा के लिये काम करेंगे। हमारे बहुत से अकाली नेता हैं। हमारे अकाली नेता विधान सभा के सदस्य सरदार हजारा सिंह गिल चुन कर आये, जत्थेदार मोहन सिंह तूर हैं, वह भी इतना भरोसा दे सकते हैं तो उनको क्यों न छोड़ा जाय? इसलिये मैं फिर कहूंगा कि इन बातों पर गौर किया जाय।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज होम मिनिस्ट्री पर दो दिन से मैं तकरीरें सुन रहा हूं। हमारी तो कैफियत यह है कि :

"बफूरे गम से दो आंसू बहाये तो बगावत है,
सितमगारे जहां को भूल जायें तो बगावत है,

[श्री मुजफ्फर हुसैन]

जमाना शादमां हो क़हक़हे गूंजे फिजाओं में,
अगर हम इत्तफ़ाकन मुस्करायें तो बग़ावत है।

एक माननीय सदस्य : मुकिरर इरशाद।

श्री मुजफ्फर हुसैन : जमाना शादमा हो क़हक़हे गूंजे फिज़ाओं में...

अध्यक्ष महोदय : यह मुकिरर कहना दुरुस्त नहीं है।

श्री मुजफ्फर हुसैन : इस के लिये तो आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर ही तो कह रहा हूं।

श्री मुजफ्फर हुसैन : अगर हम इत्तफाकन मुस्करायें...

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप को रोक रहा था।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं तो अपनी बात कहे जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस को एक पब्लिक जल्सा न समझें कि किसी तरफ से दख्वास्त आ जाये और आप उसे मान लें।

श्री मुजफ्फर हुसैन : "समझ ही में नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, हंसायें तो बग़ावत है, रुलायें तो बग़ावत है।"

मैं आज यह देख रहा हूं कि यह मुल्क, जिस को एक जम्हूरियत या सेकुलर स्टेट कहा जाता है, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। यह मसला बहुत ही अहम है और काबिले-गौर है। लेकिन जहां तक हमारे दुश्मनों का ताल्लुक है, और उस पर तब्सरा करना है, यहां साथ ही साथ हमें यह भी कहना है कि दुश्मनों की सरगर्मियों का मुकाबला तो बहरहाल हर सूरत में किया जा सकता है और उस के मुकाबले के लिये हर तदबीर अख्तयार की जा सकती है जिस से कि हम इस मुल्क की और अपनी सारी रवायात को बाकी रख सकें और उनको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर खुद चमन का बागवां ही चमन का मुखालिफ हो, खुद गुलचीं उस के फूलों को अपने कदमों से रौंदता हो, तो ग़ैर की शिकायत तो बाद में की जायेगी, अपनों की शिकायत पहले करनी है इसलिये मैं अर्ज करूंगा आप से कि हमें गौर करना है।

हम सन् १९४७ से लेकर अब तक इन पन्द्रह सालों के अन्दर यह देख रहे हैं कि जहां योमे-आजादी हमारे लिये पैगामे-मुसर्रत लेकर आया वहां साथ ही साथ मेरी कौम के लिये पैगामे मौत लेकर भी आया, और आज इन पन्द्रह सालों के अन्दर कमो-बेश ६०० मुकामात पर ऐसे बलवे हो चुके हैं जहां पर इन्सानियतसोज मजालिम किये गये हैं और जो खेल खेले गये हैं वह जिम्मेदाराना हुकूमत से रूपोश नहीं हैं। लेकिन जहां तक हमारी अकलियत का इस मुकाम पर सवाल है, हम यहां पर साढ़े छः करोड़ हैं। सन् १९४७ में मुसलमान साढ़े चार करोड़ थे और पन्द्रह साल के अन्दर वह साढ़े छः करोड़ हो गये हैं। लेकिन इन साढ़े छः करोड़ मुसलमानों के लिये हर वह तदबीर सोची जाती है, हर वह तदबीर अख्तयार की जाती है जिस से हमारी कौम को फना के घाट उतारने की कोई स्कीम तैयार हो जाय। मैं यह नहीं कह सकता कि इस में अपनों का और बेगानों का कितना-कितना हाथ है, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आये दिन मजालिम ढाये जा रहे हैं और यह एक ऐसा गलत शय है जो कि एक जम्हूरियत के लिये और सेकुलर स्टेट के लिये किसी तरह से जेबा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान से बहुत से लोग भाग आये हैं।

श्री मुजफ़्फ़र हुसैन : जहां तक मैंने सुना है आसाम में और वहां के दीगर इलाक़ों में पाकिस्तान से आ कर मुसलमान बसे हैं । कितने आये, दो लाख आये, दस हजार आये, दो आये, एक आया, लेकिन जो आये हैं उन के मुताल्लिक़ अगर आप नोटिस ले रहे हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है । लेकिन क्या यह सच नहीं है कि हजारों मुसलमान आसाम की सरज़मीन को, बंगाल की सरज़मीन को, छोड़ दीजिये क्योंकि वह सरहदी इलाक़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे भी मौजूद है जिन्होंने आज तक पाकिस्तान देखा तक नहीं है, जिन की किसी पुश्त में कोई बच्चा वहां गया तक नहीं है, मगर आज भी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और उन पर पाकिस्तानी होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : यह ग़लत है ।

श्री मुजफ़्फ़र हुसैन : मेरे पास सबूत मौजूद है । इसलिये मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि जहां तक उन के आने का ताल्लुक है, जो लोग वहां से आये हैं, अगर वह आप के नोटिस में आ रहे हैं और आप उन पर एक्शन ले रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान देखा तक नहीं है, उनको निकालना उन के पीछे रोज़ाना पुलिस का पड़ा रहना, उनके दरवाज़ों पर पुलिस का खड़ा रहना, किसी तरह से दुरुस्त नहीं है ।

तीसरे जहां तक आप का ताल्लुक है, आप मुझ को ग़लत कह सकते हैं, लेकिन वह देवबन्द जिस का एक एक बच्चा मुसलमानों का मुख़ालिफ रहा मगर आप का वफादार रहा, आप की वफादारी उसने की, उस ने अपने क़ौम की गालियां खायीं . . . .

एक माननीय सदस्य : यह आप से क्या मतलब है ?

श्री मुजफ़्फ़र हुसैन : आप से मतलब है हुकूमत से । वह हुकूमत के साथ वफ़ादारी बरतता रहा, लेकिन आज भी उसकी खाना तलाशी ली जा रही है, आज उसके मदरसों की तलाशी ली जा रही है । मेरी मुराद है वह देवबन्द जिस में मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दूसरे लोग थे जिन्होंने जंग आज़ादी में आप के साथ शाना ब शाना हो कर लड़ाई की, उन के साथ यह बरताव हो रहा है ? आज मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है क्योंकि उस ज़माने में शायद मैं लोग में रहा होऊं, मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगाये जाय, वह अपनी जगह पर बेजा हो सकते है, लेकिन जो लोग उस वक्त हुकूमत के साथ थे, जो हुकूमत के साथ आज भी मौजूद हैं, उन के मदरसों की खाना तलाशी, उनके घरों की ख़ाना तलाशी, क्या जम्हूरियत है, क्या इसी का नाम सेकुलर स्टेट है ?

अभी अभी में बताता हूं कि मौलाना अबदुल वहीद सिद्दीक़ी, एडीटर 'नई दुनिया', ने नवम्बर १९ का एक ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और मिनिस्टर आफ़ इनफ़ारमेशन और ब्राडकास्टिंग को जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं दुश्मनों का मुक़ाबला करने के लिए सबसे पहले जाने के लिये तैयार हूं । उन्होंने—मिनिस्टर आफ़ ब्राडकास्टिंग और इनफ़ारमेशन को लिखा था कि उनका अख़बार मुल्क की यह ख़िदमत करने के लिए तैयार है कि सारे सरकारी इश्तिहारात बिला मुआवज़ा के उस में छप सकते हैं । इसका जवाब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर सहाब ने और इनफ़ारमेशन मिनिस्टर सहाब ने भी दिया और उन को मुबारकबाद दिया और सराहा । लेकिन अगर एक मामूली सी तनक़ीद उनके अख़बार में हो जाती है तो उनको जेल के हवाले कर दिया जाता है । यह अख़बार मौजूद है । इसमें कोई लफ़्ज़ ऐसा नहीं कहा

[श्री मुजफ़्फ़र हुसैन]

गया जिससे कहा जाए कि वह इस क़ाबिल थे कि उनकी सारी ख़ूबियों पर पानी फेर कर उनको जेल के हवाले कर दिया जाता । इसमें लिखा है :

16 hrs.

"यह सब जानने के बाद हम सिर्फ यह सवाल करना चाहते हैं कि जब हुकमत अन्दरूनी तख़रीबकारों और हंगामा पखर अनासिर को नहीं रोक सकती तो वह चीनी हमलावरों को कैसे रोकेगी ? ज़रा गौर तो कीजिए कि हिन्दुस्तान पर चीनी हमले के बाद पैदा होने वाले इत्तहाद की शान में कितने कसीदे पढ़े गए " ।

यह इतना सा जुमला है जिसकी बिना पर उन्हें आज चौथा रोज़ है कि गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी ज़मानत तक नहीं हो रही । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे ज्यादा दीगर अख़बारात ने हुकुमत के खिलाफ, होम मिनिस्टर के ख़िलाफ, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ, सारी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं लिखा ।

मैं लखनऊ की सरज़मीन पर गया था । वहां पर एक नुमायश लगी है जिसमें 'मां की पुकार' के नाम से किस क़दर लगवियात बरती गयी है, लेकिन वहां किसी फर्द को गिरफ्तार नहीं किया गया न किसी के ख़िलाफ कुछ ऐक्शन लिया गया ।

श्री कछवाय : वह कम्युनिस्टों के ख़िलाफ प्रचार था, सरकार के ख़िलाफ नहीं था ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था । आपने देखा नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हैं ।

जिन अख़बारात ने हुकूमत की तनक़ीद की, प्राइम मिनिस्टर की तनक़ीद की, हुकूमत की कार्रवाइयों पर तनक़ीद की, उन को नोटिस दिया गया । नोटिस के बाद भी अगर वह न माने हों तो उनके ख़िलाफ कोई कार्रवाई की गयी हो । लेकिन तमाम अख़बारात में इस इमरजेंसी के दौरान में हज़ारों से बयानात निकले, हज़ारों एडीटोरियल लिखे गए जो क़ाबिले एतराज़ थे, जो हुकूमत की अन्दरूनी मैशिनरी के तमाम राज़ को अफशां करते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, न उनके लिखने वालों में से किसी को एक दिन की सज़ा दी गयी । लेकिन वह इन्सान जिसने सब से पहले इस बात का सबूत दिया हो कि वह नेफ़ा और लद्दाख जाने को तैयार है और जिसका अख़बार क़ौम की ख़िदमत के लिए वक़्फ़ है, उसको एक मामूली सी लगज़िश पर गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से एक अर्ज करना चाहता हूं । पहले भी कई मेम्बरों से मैं ने यह कहा है । यह मामला बहुत नाज़ुक है क्योंकि हमारे सामने वह ग्राउंड्स नहीं हैं जिन पर उन को गिरफ्तार किया गया हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि जो आप कहते है वह सही नहीं है, हो सकता है कि वह सही हो । हो सकता है कि उन के ख़िलाफ़ कोई और ग्राउंड्स हों । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अख़बार में कुछ लिख दिया उसी की वजह से उन को गिरफ्तार किया गया । हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, इसलिए इस बात को इतने जोर से नहीं कहा जा सकता ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं ने मालूमात हासिल की है । और उन के बेटे ने मुझे बतलाया है कि उन को इसी ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : अगर वह आप के हमख्याल न होते तो आप के पास क्यों आते, किसी दूसरे के पास न जाते ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : हर एक अपने हमदर्द के पास जाता है । आप को जिससे मुलाकात होगी वह आप के पास आयेगा, जिस की मुझसे मुलाकात होगी वह मेरे पास आयेगा ।

बहरहाल में अर्ज करता हूं कि जम्हूरी हुकूमत के लिए यह किसी तरह जेबा नहीं है कि वह उन लोगों को जो सरकार के साथ वफ़ादारी करने को तैयार हैं और जो अपनी खिदमत पेश करते हैं, उन की वह एक मामूली लग़ज़िश को नजरअन्दाज न कर सके । यह कहां तक दुरुस्त है ।

दूसरे में अर्ज करूंगा कि जहां तक मुसलमानों का मुलाज़मतों में होने का सवाल है, या ज़िन्दगी के दूसरे शोबों में दाखिल होने का सवाल है, उनको महरूम किया जाता है । हमारे बच्चों के अगर अच्छे नम्बर भी आएं तो पब्लिक सरविस कमीशन उनको कोई हिस्सा नहीं देती । उनको इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वे मुसलमान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को पब्लिक सरविस कमीशन के लिए यह कहने की इजाज़त नहीं दे सकता कि वह किसी के साथ इस बिना पर इम्तियाज़ करती है कि वह मुसलमान है ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : आप से शिकायत न करें तो किस से करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरे सामने हाई कोर्ट की या पब्लिक सरविस कमीशन की यह शिकायत लायें कि वह रियायत करते हैं तो मैं उस की इजाज़त नहीं दे सकता । पब्लिक सरविस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है । उस के लिये यह कहना कि वह किसी के साथ मुसलमान होने की वजह से खास सलूक करती है या हाई कोर्ट के लिए यह कहना कि वह किसी के साथ रियायत करती है, मैं इस की इजाज़त नहीं दे सकता ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं इस जम्हूरी हुकूमत के बारे में अर्ज कर रहा था । जो मैं कहता हूं वह काबिले-ग़ौर है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं कि यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन या किसी अदालत के खिलाफ आप यहां इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ।

Dr. L. M. Singhvi: I request that these remarks might be expunged.

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं वापस लेता हूं । लेकिन मैं कहता हूं कि जहां तक हमारी अक़लियत का सवाल है उस के ऐतबार से हमको हिस्सा मिलना चाहिए ।

जहां तक हमारे जान, माल, हमारी इक्तसादी कमजोरी, हमारी सामाजिक कमजोरी का ताल्लुक है उस को हम ने नजरअंदाज कर दिया है और ख़ामोश बैठे हैं । हो सकता है कि हमारे मुताल्लिक कुछ सोचा जाये । लेकिन जहां तक हमारे दीन और मजहब का सवाल है उस के मुताल्लिक में अर्ज करूंगा कि हमें मालूम हुआ है कि बकरीद की छुट्टी खत्म की जा रही है । आप के मामूली त्यौहारों की छुट्टी दी जाती है, लेकिन बकरीद की छुट्टी खत्म की जा रही है । यह चीज अखबारों में आ चुकी है और इस पर अहतजाज हो चुका है । इस से हमारे मजहब का ताल्लुक है । और कोई अपने दीन को मिटाया जाना पसन्द नहीं कर सकता, कोई अपने मजहब को मिटते देखना पसन्द नहीं कर सकता । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक हमारे मजहब की रवाइयात का ताल्लुक है उनको बाक़ी रखा जाए । बकीया अगर आप कोई मराआत बरतने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप जानें और आप का धर्म जाने । लेकिन यह एक जम्हूरी हुकूमत को जेबा नहीं देता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आज के इस नाजुक वक्त में हमारे दोस्त मुजफ्फर हुसैन साहब ने जो चर्चा की है वह वक्त को देखते हुए गैर-मौजूं है । ऐसे वक्त में जब कि हिन्दुस्तान की हुकूमत मंहगी से महगी कीमत दे कर भी पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहती है, यह चर्चा छेड़ना खास तौर से जब कि यहां की हुकूमत अच्छे से अच्छा सलूक उन लोगों के साथ कर रही हो जिन को उन्होंने अपने अल्फाज में साढे ६ करोड़ के करीब बताया है, ठीक नहीं था । ऐसा करना हिन्दुस्तान की हुकूमत के साथ ही अन्याय करना नहीं है बल्कि इस देश के बहुमत के साथ भी अन्याय करना है ।

मेरे लायक दोस्त ने इस बात की चर्चा भी की कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं और आसाम में बस गए हैं उन को वहां से हटाया जा रहा है इस के लिये उन्होंने यह शक जाहिर किया कि यह देख लिया जाय कि जो लोग वहां हैं वह वहीं के रहने वाले तो नहीं हैं ? और अगर वे वहां रहने वाले हैं तो उन को घर से बेघर न किया जाय । कल कांग्रेस के भी एक मेम्बर ने यह कहा था कि अगर वे लोग वहां के रहने वाले हैं तो उन को हटाना न सिर्फ हुकूमत को इन्सान की निगाह में गुनहगार बनायगा बल्कि खुदा की निगाह में भी गुनहगार होगी । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हुकूमत हिन्दुस्तान ने अभी तक तो इस मामले में यह ही बताया है कि ढाई तीन लाख लोग पाकिस्तान से आकर आसाम में बसे हैं, जबकि उनकी तादाद सात लाख के करीब है । हिन्दुस्तान की हुकूमत का यह भी कहना है कि उन में से केवल १२ हजार आदमी ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से आसाम को छोड़ कर वापस पाकिस्तान चले गये । जो बाकी कोई पौने तीन लाख से अधिक लोग रह गए हैं हिन्दुस्तान की हुकूमत उन के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, वह सोच रही है कि शायद वे अपनी मर्जी से ही वापस चले जायें । ऐसे वक्त में हिन्दुस्तान की हुकूमत की आलोचना करना ऐसे गलत आधार पर, न केवल हुकूमत के साथ अन्याय है बल्कि इस सारे देश के साथ भी बड़ा अन्याय है । मैं गृह मंत्री पर एक दूसरा आरोप लगाना चाहता हूं और वह यह है कि आप ने इस रिपोर्ट में बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान से त्रिपुरा में करीब ५०,००० व्यक्ति आये और ३००,००० के करीब असम में पाकिस्तान से लोग आये । इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में ४५,६४३ आदमी पाकिस्तान से आकर बसे हैं । यह आप के ही जिम्मेदार आंकड़े हैं जिन को कि आप ने इस रिपोर्ट में छापा है । लेकिन इसी के साथ साथ इस में आपने यह भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जोकि दूसरे देशों से आये और हिन्दुस्तान में आकर रहे । विदेशों से आकर जो लोग हिन्दुस्तान में बसे ३० सितम्बर, १९६२ तक, ऐसे लोगों की तादाद ४,२९,०६८ है । मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह सोमवार को अपना जवाब देते वक्त बतलायें कि जिन ४,२९,०६८ आदमियों को आप ने हिन्दुस्तान का शहरी करार दिया है उन में पाकिस्तानी लोगों की तादाद कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हुसैन ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि हिन्दुस्तान की सर्विसेज में मुसलमानों को स्थान प्राप्त नहीं है । मैं इस बारे में बहुत विस्तार के साथ तो नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मोटे आंकड़े रख कर यह बतलाना जरूर चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तो उप-राष्ट्रपति और गवर्नर मुसलमान हैं । हमारे राजदूतावासों में १२ उच्च कर्मचारी मुसलमान हैं । केन्द्रीय सरकार के ६ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं । राज्य सरकारों के २९ मिनिस्टर्स मुसलमान हैं । हाईकोर्टस के १० जज मुसलमान हैं और जो अपना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, उस में भी १ जज मुसलमान है ....

एक माननीय सदस्य : एक नहीं बल्कि दो मुसलमान जज हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरे एक मित्र ने मेरी भूल सुधारी है । सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि दो जज मुसलमान हैं । इसी तरह से जो अपना यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन है उस में एक मेम्बर मुसलमान है । प्रांतों के जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उन में भी ८ मुसलमान मेम्बर्स हैं । इतना होने के बाद भी अगर वह हिन्दुस्तान की हुकूमत की नीयत पर शक करते है और हिन्दुस्तान की हुकूमत पर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक अन्याय है । मैं तो चाहूंगा कि गृह-मंत्री जी परसों अपना उत्तर देते हुए इस बात का अवश्य जवाब दें कि असम में जो पाकिस्तानी आकर बसे हैं, कहीं असम राज्य की सरकारी मशीनरी में तो कुछ इस तरह के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं जो वहां जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं जिनकी कि वजह से ७,००,००० के करीब यह पाकिस्तानी आ कर बस गये । यह बात ऐसे वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है जब कि हमारी असम की सरहद पर चीन की विशाल सेनायें आकर खड़ी हुई हैं और कल को उधर से तो चीन का आक्रमण हो और इधर पाकिस्तान की नीयत जिस तरीके से धीरे-धीरे बदल रही है उन की भी शरारत शुरू हो जाय तो उस वक्त हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हिफाजत की क्या हालत होगी ? मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये बहुत चिन्ता की चीज़ है । मेरे लायक दोस्त को इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले हिन्दुस्तान की हुकूमत का रवैया जरूर देख लेना चाहिये था । एक दूसरे विषय के सम्बन्ध में भी मैं अपनी सरकार से कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

हुकूमत देश से तो यह चाहती है कि देशवासी त्याग और बलिदान करें । देश के इस विपत्ति काल में जनता जितना अधिक से अधिक त्याग हो सकता है, वह करे । लेकिन गृह-मंत्री जी, त्याग कराया था राणा प्रताप ने जिस ने राजस्थान की रक्षा के लिए पहले अपना सब कुछ त्याग दिया और तब फिर यह घोषणा भी की कि मैं जब तक राजस्थान के गौरव की रक्षा नहीं कर लूंगा तब तक पलंग पर सोऊंगा नहीं, महलों के अंदर रहूंगा नहीं, थाल में भोजन नहीं करूंगा, पत्तल पर भोजन करूंगा । इस तरह से राणा ने त्याग और बलिदान का एक आदर्श उपस्थित किया । नतीजा इस का यह हुआ कि भामाशाह जैसा व्यक्ति उन को मिला जिस ने कि अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें दे दी । लेकिन इस के विपरीत आज अपनी सरकार और शासक वर्ग की क्या स्थिति है ? सरकार देश से तो त्याग कराना चाहती है लेकिन उस की अपनी स्वयं की स्थिति क्या है ? होम मिनिस्टरी की जो टी० ए०, डी० ए० की ५१ नम्बर की डिमांड है उस को देखने पर मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि सरकार का खर्चा निरन्तर उसी गति से बढ़ता जा रहा है जैसा कि सुना है सुरसा का मुंह बढ़ता गया था । सन् १९५४–५५ में टी० ए०, डी० ए० पर ४ लाख ७१ हजार खर्च हुआ । सन् १९५६–५७ में ८ लाख २१ हजार रुपया खर्च हुआ । सन् १९६०-६१ में ९ लाख ५८ हजार रुपया खर्च हुआ । १९६१-६२ में ९ लाख ९३ हजार रुपये खर्च हुए । सन् १९६२-६३ के बजट में पहले ८ लाख रुपये रक्खे गये लेकिन रिवाइज्ड बजट में उस को भी ९ लाख रुपये किया गया । इसी तरह से सन् १९६३-६४ के बजट में भी आप ने ९ लाख रुपये रक्खे हैं लेकिन मेरा अंदाजा है कि जैसे आप हमेशा बाद में रिवाइज कर लिया करते हैं यह भी रिवाइज्ड हो कर १० लाख रुपये तक जरूर पहुंच जायेगा ।

इस प्रकार से सरकार का खर्चा बराबर बढ़ता चला जा रहा है । मेरे पास कुछ विस्तृत आंकड़े भी हैं जिन में एक-एक मिनिस्टर का टी० ए०, डी० ए० का ब्यौरा दिया हुआ

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

है । हम देखते हैं कि कहीं कहीं तो उन का टी० ए०, डी० ए० का टोटल बिल उन के वेतन से लगभग दुगुना पहुंच गया है । मैं एक, एक मिनिस्टर का हिसाब नाम ले कर तो नहीं बता सकूंगा लेकिन सरकार से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि वह इस विषय में अवश्य आदर्श उपस्थित करे । जहां यह सरकार और उस के मिनिस्टर्स देश की जनता से त्याग करने की अपेक्षा करते है वहां स्वयं भी कुछ नमूना बनें । मिनिस्टर्स को जो सम्पचुअरी एलाउंस मिलता है या आतिथ्य भत्ता मिलता है वह सन् १९६१-६२ में ८३ हजार २६२ रुपये था पर सन १९६२-६३ में यह बढ़ कर १ लाख ७५ हजार रुपये हुआ और सन ६३-६४ के बजट में इस मद में १ लाख ११ हजार ४०० रुपये रक्खे गये हैं । अब नहीं कहा जा सकता कि रिवाइज़ हो कर उस में भी कितना बैठेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को भी आप कहने की आज्ञा दीजिये कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा है और इसी को ले कर सारे देश में चर्चा हो रही है कि कैबिनेट बहुत बड़ी है, क्या ही अच्छा हो कि केन्द्रीय सरकार अपने मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करे और पंजाब की तरह वह भी एक आदर्श उपस्थित करे ताकि दूसरे प्रान्तों में भी इसी तरह के आदर्श मंत्रिमंडल बनाये जायें । कैबिनेट मिनिस्टर्स की तनख्वाह सन् ६२-६३ में जहां ३ लाख २४ हजार रुपये थी वह अब नये बजट में बढ़ा कर सन ६३-६४ के लिए ४ लाख ८६ हजार रखी गई है । १ लाख ६२ हजार की वृद्धि हो गई । क्या और मिनिस्टर्स को बढ़ाने की तैयारी है ? यह १ लाख ६२ हजार क्यों और बढाया ? सरकार की इस के पीछे क्या मंशा है जनता को इस का थोड़ा परिचय तो दे कि यह वृद्धि क्यों करनी पड़ी है ।

दूसरी एक बड़ी बात यह है कि यहां हमेशा करप्शन और भ्रष्टाचार आदि की भी काफी चर्चायें हुई है । गृह मंत्री जी, हमारे देश का जो संविधान बना है वह इंगलैंड आदि के विधान का अधिकांश अनुकरण कर के बना है । चंद दिन पहले इंग्लैंड के एक उपमंत्री ने केवल इसलिए त्यागपत्र दिया कि उस ने अनजाने में अपनी कार एक ऐसे विद्यार्थी को ड्राइव करने के लिए दे दी थी जिस का लाइसेंस पहले छीना जा चुका था । पता लगने के बाद उस ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया यह कह कर कि यह मेरा दोष था, भले ही मैं उस की जानकारी न रखता होऊं । इस तरह का आदर्श कम से कम यहां भी तो कुछ व्यक्तियों को अवश्य उपस्थित करना चाहिए जिससे कि देश को विश्वास हो कि इस तरह के दो-चार व्यक्ति यहां भी है ।

हिन्दी के साथ अंग्रेजी को सन ६५ के बाद भी जो सह भाषा या सखी भाषा बनाये रखने का जहां तक सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विचार उस बारे में इस प्रकार का है कि सरकार जब यह कहती है कि अगर अंग्रेजी को १९६५ के बाद नहीं रक्खा गया तो देश की एकता टूटप्जायेगी, इस का सब से बड़ा कारण मद्रास में, खास तौर से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़घम का, अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को राजभाषा का विरोध है । मैं तो कहूंगा कि सन् १९६५ के बाद बजाय इस के कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी को आप सह भाषा रक्खें, आप तामिल को सह भाषा बना दें तो देश उस को अच्छा स्वीकार कर लेगा । कम से कम भारतीय भाषा तो वह होगी . .

Shri S. Kandappan (Tiruchengode): Is he referring to our party? We are not able to follow.

Mr. Speaker: He has said nothing derogatory of your party.

Shri S. Kandappan: Thank you.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अंग्रेजी

को सह भाषा बनाने की बात कह तो रहे हैं पर मेरा अपना अनुमान है कि यह सखी भाषा नहीं बन पायेगी क्योंकि सखी भाषा का अभिप्राय तो मित्रतापूर्ण व्यवहार का भी होता है। लेकिन अंग्रेजी की मित्रता जब इन १५–१७ वर्षों में हिन्दी के साथ स्थापित नहीं हो सकी तो १९६५ में जब कि वह अपना सूर्य अस्ताचल की ओर जाता हुआ देखेगी तो यह मित्रता कैसे स्थापित हो सकेगी? अंग्रेजी और हिन्दी को सन् ६५ के बाद सखी भाषा कहने के बजाय अगर आप सौत भाषा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंग्रेजी को तो यह देख कर सौतिया डाह अभी से हो रही है कि कल हिन्दी मेरे आसन पर आने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि १७–२–५९ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अनुसार दिल्ली की २४ लाख की आबादी में १२,००० के लगभग अपराधी थे। उन में ७२०० आदमी ऐसे थे जो बदचलन या सजा-याफ्ता थे। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाय तो यह ठीक होगा कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति २०० बालिगों में एक अपराधी है। सन् १९५८ की पुलिस रिपोर्ट में एक साल में १५४१४ केस दर्ज हुए जिन में से कि ५४४० केस इसलिए छोड़ दिये गये कि उन के लिए शहादत नहीं मिल पाई थी। १४ अक्तूबर सन् १९६० के 'स्टेट्समेन' में एक खबर छपी कि यहां के डी० आई० जी० पुलिस ने रात को थानों का जा कर आकस्मिक मुआयना किया और उस चैकिंग में वह हैरान रह गए—उन्हें २० थाने लगभग ऐसे मिले जहां कि १२ बजे के बाद स्टाफ आराम के साथ सोया पड़ा था। परिणाम उसका यह है कि दिल्ली के माथे पर इस प्रकार का कलंक लगता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन की ही बात है कि एक विदेशी पत्रकार श्री एटकिन्सन की उन के फ्लैट में हत्या कर दी गई। एक दूधिया व एक दो और आदमी इस संबंध में पकड़े भी गये जोकि इस हत्या से संबंधित बतलाये जाते हैं। मैं नहीं जानता कि आगे चल कर जांच में उसका क्या परिणाम निकलेगा परन्तु जहां तक इस घटना का संबंध है वह कोई केवल अकेली हो ऐसी घटना नहीं है बल्कि यहां दिल्ली में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली में डाके और चोरियां व हत्याएं तो होती ही रहती हैं। बलात्कार, तेजाब फैंकने और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के केस भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं। यह दिल्ली की पुलिस के लिए लज्जा की बात है कि वह इन घटनाओं को रोक नहीं पाती है। जब शास्त्री जी कहते हैं कि दिल्ली में चूंकि केन्द्रीय सरकार है इसलिए यहां पर अन्य और किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है तो दूसरे शब्दों में अगर जनता यह कहे कि जितनी भी कमी है यह सैंट्रल गवर्नमेंट की है तो गलत नहीं होगा। जब केन्द्रीय सरकार की ठीक नाक के नीचे जनता की सुरक्षा नहीं की जा सकती है तो फिर अन्य जगहों का तो कहना ही क्या है? इसके लिए मंत्री महोदय को गंभीरता-पूर्वक सोचना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिएं।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो, तीन बातें और विशेष कहना चाहता हूं। एक तो यह कि दिल्ली राजधानी में जो विदेशियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जब-जब सरकार को उनको हटाने के लिए कहा जाता है तो सरकार कहती है कि इनको उठा कर रखने के लिए हमारे अजायबघर में जगह नहीं है। पर मेरा तो कहना है कि इनको अजायबघर में रख कर क्या इनकी पूजा करियेगा? इन को समुद्र में फिकवाइये न? यह कलंक भारत के माथे से हटाइये। १५–१७ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक यह कालिमा हमारे माथे पर लगी हुई है। इन विदेशियों की प्रतिमाएं हटा कर इन की जगह पर लगवाइये वह प्रतिमाएं जिन को देख कर भारत का स्वाभिमान जागृत हो उठे। इंडिया गेट पर जार्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई है वहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

विजय चौक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस पार्लियामेंट की चहारदीवारी का संबंध है, अभी मैं ने कल या परसों देखा कि यहां अन्दर किसी की प्रतिमा लगने जा रही है, अब यह प्रतिमाएं दिल्ली में कहीं भी लगें, बम्बई में लगें, कलकत्ते में लगें लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की चहारदीवारी का संबंध है इस में हमें किसी का भी स्टेचू नहीं लगाना चाहिए। पार्लियामेंट तो बिलकुल एक प्रभावरहित, निष्पक्ष ढंग से ही रहनी चाहिए। इस में किसी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। और फिर जब गांधी जी की प्रतिमा यहां नहीं लगी तो किसी और की प्रतिमा चहारदीवारी में स्थापित की जाय मैं समझता हुं कि यह कोई शुभ परम्परा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री महोदय इन सारी बातों पर गम्भीरता से निर्णय लेंगे।

Shri Abdul Ghani Goni (Jammu and Kashmir): Mr. Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity at the last moment to speak about these grants. According to the report before us—I do not call it a report; it is a gist of the activities of the Home Minister or of the home front—we know some things. Since yesterday, many points have been discussed elaborately but unfortunately some trends have been there in the Congress or the other parties and some speeches have been made on communal lines with a reactionary bias which do not fit into the present atmosphere. I would only draw your attention about the integration of the services. I am very happy that the integration of the services are being extended to engineering, medical and other departments also. But integration does not mean only promotions to the officers; it should not be limited to bringing them into the I.A.S. or other cadres or giving promotions. There should be in the real sense integration. There should be inter-State transfers in the interest of public administration. There are complaints that officers are staying for more than 10-20 years at one place; they are not transferred. The first item in the report says about the extension of integration to the engineering and medical services also. There should be inter-State transfers to restore confidence in the services and to give them a national outlook. They should not be limited to the States. For instance, a man from Kashmir Services should not be limited to Kashmir State but he should go to other States; similarly other State administrators should come to that State also. As somebody has said, I submit that the officers should also feel that they are a very important section of our nation. It is the responsibility of the officers of the I.A.S., I.C.S. cadres to build a new India. If they behave, the whole nation will behave. Ministers and Governments change but I.A.S., I.C.S. officers and heads of departments belong to permanent services and should guide the department properly.

I understand that there are some difficulties. We are talking of corruption at higher and lower levels. This could not be removed by giving promotions or giving high salaries. I understand that in 1947-48 the expenditure on police was Rs. 66 lakhs; it has now gone up to 22.26 crores in 1962-63. It has increased more than 22 times. We should take the efficiency of the police department and see it. It should also increase, at least by two times. Promotions and grants are of no use unless efficiency is there. The people in the police department should feel their responsibility. As a student of the 9th class I was arrested for the first time. I had the picture in my brain of the post-independent India then, when the police would come to the village to safeguard us and help us. But still I say without contradiction that that factor has not been developed so far. Still, in the villages, especially, the police has not

become such as to fit that picture, that idea, which I had painted in my brain sometime before Independence. When I was a student, I had that idea about the police. I expected a change now; I expected that they would change their entire character and be the guardians of the people. But that is not so. They must know how to behave with the parties and with the people and others, and become the guardians of the people.

I should like to submit one more thing: there should be the minimum of interference in the Government services. I know the officers' cadre. Unless that cadre feels secure, unless there is a surety of service for them, unless there is no interference from the Ministry or from the politician, things will not improve. When I say, politician, I include myself also in that, because sometimes I also go to the officers and recommend cases. The officials should feel and exercise their own functions and they should not be just puppets of their bosses in the Government. As a student of politics, I say the main responsibility to the nation lies on the official machinery. I would submit a few proposals about this aspect of the matter.

Firstly, if you want to root out corruption, there should be the minimum interference. Secondly, the transfers should be limited. I know of cases where people have been transferred simply because they are not able to pull on with their superiors. There should be restrictions placed by the heads of departments on the subordinate officers to go direct to the Ministers and talk to them. There should be a limit. I may be wrong, but I think that the services will be a bit disciplined only if such restrictions are placed on them. Unless there is discipline in the services, I do not think efficiency will be achieved.

I have seen the conditions in the posts and telegraphs department. I appreciate their procedure. When they want to transfer an officer, they give him notice that he will have to move from this place to that place. If he is to be transferred in the first week of April, he will be given that notice, say, in February. Then, if they have got any grievances or have any local trouble, those things are also attended to. For example, if some honest officers are in debt, that is also attended to. But in other departments, the transfers are ordered immediately, and the persons are not given any joining time or T.A. That means a lot of trouble to the persons concerned. So, I suggest that there should be a limit of three years as the minimum period of service at any one place.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Abdul Ghani Goni: Then, there should be some sort of vigilance in respect of the official red-tapism. This is my personal experience. Unless there is recommendation, no paper in the Government offices will move from one table to another table. Only when there is a telephone call from an M.P. or an M.L.A. or any such person, the papers will move. Or, somebody must go personally there. For instance, take a contractor or a licensee, or an industrialist. Their application for licence or for any scheme will not move from one table to the other unless they go and oblige the man there! I suggest that in order to remove this red-tape and such bad practices, there should be vigilance committees in every State. The officer must keep a note of papers which are delayed for one year, two years or five years. He should also give the reasons for the delay. Unless that note is there, nobody will be responsible. If such a system is made compulsory, the officer at whose table the delay started and others who are responsible will feel their responsibility and thus, red-tapism, to some extent, will be lessened.

Yesterday, I listened to the speech of Shri Kamath and the speeches of

[Shri Abdul Ghani Goni]

some other hon. Members also. They said that some extraordinary amounts have been spent in Kashmir. I understand that in India as a whole there has been an over-all development. India has been progressing through the first Plan, the second Plan and the third Plan. In respect of Kashmir also there is the Plan. Somebody said yesterday that crores of rupees have been spent without any audit; it was, I think, the hon. Member, Shri Kamath who happens to be—I cannot say distinguished, but one of the most vocal Parliamentarians here. I am sorry that he did not know even this much that for the last four or five years, Kashmir has entered into a financial agreement with the Central Government under which the Auditor-General has got jurisdiction over the State's accounts. I have got reports of the Public Accounts Committee for Jammu and Kashmir, as for other States. I may say that Kashmir has got its own position. We are also entitled, not as a charity from the Central Government, but as a matter of right. Just as every Indian citizen can demand his rights, Kashmir, being an integral part of India, has got some rights as others.

Mr. Kamath said that crores of rupees are being spent on Kashmir. I am sorry he does not know what the Finance Commission have said in their report. I am surprised and very grieved that the Finance Commission has not behaved properly with Jammu and Kashmir. This is the Finance Commission's third report. In spite of its geographical position, topographical position and the neglect by autocratic rule there for ages, absence of railways and the heavy transport costs, Kashmir has been neglected by the Finance Commission. From Rs. 4 crores, Andhra now gets Rs. 9 crores; from Rs. 4.5 crores, Assam now gets Rs. 5.25 crores and so on. The allocations of all the States have increased, but the allocation for Jammu and Kashmir has decreased. Under the second Finance Commission's proposals, we got Rs. 3 crores. Now we have got Rs. 1.75 crores. This is the greatest neglect. It is a backward area and it is the most neglected area, as a result of autocratic rule for hundreds of years. Those gentlemen who know Jammu and Kashmir will realise that whereas a mile of road constructed anywhere else in India will not cost more than Rs. 10 lakhs, a part of a mile of road in Kashmir will cost lakhs of rupees, because of high mountains and rocks to be cut. So, I would humbly submit that this allocation should be revised.

Lastly, I do not say that Kashmir is a great asset to India. But Kashmir is a part of India. It is the park and beauty of India. So, the Centre has to maintain it.

16.32 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

Mr. Speaker: We will now take up Private Members' Resolutions.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Sir, Resolution No. 1 is also very important as it deals with regional disparities. But if Resolution No. 2 is to be taken up, the first resolution may be taken on the next day, because we will go up to 6.30 on Resolution No. 2 alone. The third resolution can be moved. If you take the second resolution, it will take us up to 6.30. Then, the third resolution can be moved and we may discuss the first resolution next time.

Mr. Speaker: I have no objection, if the House agrees that we can take it up. Then perhaps we can only allow the next resolution to be moved for a minute and we can spend that half an hour on the demands of the Home Ministry. Would the House like that?

Shrimati Savitri Nigam (Banda): The resolution on regional disparities